**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 440 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

News item titled "West Delhi's Mayapuri back to scrap chaos: illegal units encroach roads rules flouted; pollution risks loom" appearing in the times of India dated 22.08.2025

**.... APPLICANT**

**vs.**

DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE & ORS.

**.... RESPONDENT(s)**

**I N D E X**


| S. NO. | DESCRIPTION | PAGES |
|---|---|---|
| 1. | Reply Affidavit on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change i.e. Respondent No. 4 | 1-6 |
| 2. | **Annexure – I –** Copy of the EoLV Rules, 2025 | 7-43 |
| 3. | **Annexure – II –** Copy of Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 | 44-79 |


Place Delhi
Dated:

Filed By:


**ROHAN GUPTA**
**ADVOCATE**
**Counsel for Respondent No. 4**
Ministry of Environment,
Forest and Climate Change
Office at: 242-243
Vardhman Premium Mall
Deepali Chowk, Pitampura
Delhi – 110 034
Mobile no. 9810847997
E-mail at rohan.gupta@enlex.co.in

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**ORIGINAL APPLICATION NO. 440 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

News item titled "west delhi's mayapuri back to scrap chaos: illegal units encroach roads rules flouted; pollution risks loom" appearing in the times of India dated 22.08.2025

**....APPLICANT**

**VS.**

Delhi Pollution Control Committee & Ors.

**...RESPONDENT(s)**

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE i.e. RESPONDENT No. 4**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

I, Nallamulu Subrahmanyam of aged about 39 years, S/o Shri Narasimha Rao, working as Scientist 'E' at office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change having office at Jor Bagh, New Delhi- 110003, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am, the above named Deponent, authorized and well conversant with the facts and circumstances of the present case and thus competent to swear the present Affidavit.

N. Subrahmanyam
(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC
BRAJ VEER SINGH
Advocate
Regn. No. 40923
Commission
Expire on 14/02/2030
Area Delhi
GOVT. OF INDIA

2. That I have read and understood the contents of the present Affidavit. The contents thereof are true and no part of it is false and no material has been concealed therefrom.

3. That, the deponent craves liberty to raise further required contentions during the course of the proceedings, as required.

4. That at the outset, it is submitted that this Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as 'the Ministry') *vide* S.O. 98 (E) dated 6th January, 2025, has notified the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 (hereinafter referred to as 'EoLV Rules, 2025'), under Environment (Protection) Act, 1986, for environmentally sound management of end-of-life vehicles. The EoLV Rules are based on the principle of extended producer responsibility (EPR) where producers of vehicles have been given mandatory EPR targets for scrapping of end-of-life vehicles. The rules cover all types of transport and non-transport vehicles, except agricultural tractor, agricultural trailer, combine harvester and power tiller. A copy of the EoLV Rules, 2025 is annexed and marked as **Annexure-I**.

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★
BRAJ VEER SINGH
Advocate
Regn. No. 40923
Commission
Expire on 14/02/2030
Area Delhi

5. It is humbly submitted that Rule 8 of the EoLV Rules, 2025, states responsibilities of Registered Vehicle Scrapping Facilities (hereinafter referred to as 'RVSFs'). RVSFs have been mandated to undertake activities relating to scrapping of End of Life Vehicles in an environmentally sound manner such as treatment, dismantling, safe storage of various categories of wastes in separate bins and recycling and refurbishment of materials on its own or through authorized recyclers or refurbishers. That as per sub rule (2) (f) of Rule 8, RVSF shall make an application in Form 5 to concerned State Board and obtain registration for operation of Registered Vehicle Scrapping Facility.

6. Further, as per sub rule (3) of Rule 8, an RVSF shall file quarterly returns on the centralised online portal to State Board in Form 3 on weight of End-of-Life vehicles received and weight of materials (category-wise) recycled or refurbished or sent for recycling or refurbishing, processing, and Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities by 30th day of the next month of the previous quarter, and keep a record.

7. It is humbly submitted that Rule 14 of the the EoLV Rules, 2025, inter-alia, mandates State Boards to undertake periodic inspection and audit, or cause to be inspected by an authorized agency, of the Registered Vehicle Scrapping Facility to

N. Subrahmanyam
(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC
BRAJ VEER SINGH
Advocate
Regn. No. 40923
Commission
Expire on 14/02/2030
Area Delhi
GOVT. OF INDIA

ensure the compliance of these rules and may take necessary actions against violations or for non-fulfilment of obligations under these rules against a Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer or any other person under the provisions of the Act.

8. It is humbly submitted that, Rule 15 of the EoLV Rules 2025 mentions that where any producer, Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer fails to comply with the provisions relating to handling and scrapping of End-of-Life vehicles in environmentally sound manner under these rules, thereby causing loss, damage or injury to environment or public health, he shall be liable to pay environmental compensation which may be equal to such loss, damage or injury in accordance with the guidelines issued by the Central Board.

9. It is further submitted that, Ministry of Road Transport and Highways ( hereinafter referred to as 'MoRTH') has notified the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 which prescribe registration of Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), criteria for scrapping vehicles, scrapping procedure, audit and certifications for functioning of RVSFs. In addition, RVSF is required to comply with the guidelines 'Environmentally Sound Management of End-of-Life Vehicles' issued by CPCB.

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC ... GOVT. OF ...
BRAJVEER SINGH
Advocate
Regn. No. 40923

The copy of Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 is annexed as **Annexure-II.**

10. It is further submitted that, Rule 4 of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as HoWM Rules, 2016), provides for responsibilities of the occupier for management of hazardous and other wastes. That sub-rule (2) of Rule 4 states that the occupier shall be responsible for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes.

11. Further, as per sub rule (3) of Rule 4 of HoWM Rules, 2016, the hazardous and other wastes generated in the establishment of an occupier shall be sent or sold to an authorised actual user or shall be disposed of in an authorised disposal facility.

12. That as per sub rule (6) of Rule 4 of HoWM Rules, 2016, The occupier shall take all the steps while managing hazardous and other wastes to (a) contain contaminants and prevent accidents and limit their consequences on human beings and the environment; and (b) provide persons working in the site with appropriate training, equipment and the information necessary to ensure their safety.

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC
BRAJ VEER SINGH
Advocate
Regn. No. 49923
Commission
Expire on 14/02/2030
Area Delhi
GOVT. OF INDIA

13. That as per Rule 6 of HoWM Rules, every occupier of the facility who is engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall be required to make an application in Form 1 to the State Pollution Control Board and obtain an authorisation from the State Pollution Control Board.

14. That in view of the above, it is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly pass such order(s) as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

N. Subrahmanyam

DEPONENT

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

NOTARY PUBLIC
BRAJVEER SINGH
Advocate
Regn. No. 40933
Commission
Expire on 14.02.2031
Area Delhi
GOVT. OF INDIA

**VERIFICATON:**

Verified at New Delhi on this day of 16 FEB 2026 January, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and as per official records maintained in the routine course of business. No part of the above affidavit is false and nothing material has been concealed there from.

N. Subrahmanyam

**DEPONENT**

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment,Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

I identified the deponent/executant who has signed in my presence.

16 FEB 2026

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Sh./Smt./Km. Nalla Mulu Subrahmanyam
S/o, W/o, D/o, Shri Narasimha Rao
R/o Working at Ministry of Environment & Forest Climate
New Delhi Jor Bagh ND 3
Identified by ... at Sl. No. 32
has solemnly affirmed ... that the contents of the affidavit ... have been read over and explained to him/her are true and correct to his/her knowledge.

Notary Public, Delhi (India) 16 FEB 2026

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259977
CG-DL-E-06012025-259977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 96] | नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946 |
| No. 96] | NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946 |

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

**का.आ. 98(अ).**—प्रारूप प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 367 (अ) तारीख 30 जनवरी, 2024 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप के उपबंध वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पहले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, नियमों का प्रारूप युक्त राजपत्र जनता के लिए 30 जनवरी, 2024 को उपलब्ध करा दिया गया था

और, प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ii) और (x) तथा उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना-** (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे,-

(क) निर्माता, वाहनों के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, थोक उपभोक्ता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र, संग्रहण केंद्र, स्वचालित परीक्षण स्टेशन और वाहनों के परीक्षण, हैंडलिंग, प्रसंस्करण और प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों की स्क्रैपिंग में शामिल संस्थाएं, किंतु इन पर लागू नहीं होंगे:

(i) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियां;

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग ;

(iii) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किए गए अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल ;

(iv) ई-अपशिष्ट(प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत शामिल किया गया ई-कचरा।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित सभी प्रकार के वाहन, और इसमें एक इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी संचालित वाहन, ई-रिक्शा या ई-कार्ट शामिल हैं, किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) कृषि ट्रैक्टर;

(ii) कृषि ट्रेलर;

(iii) कम्बाइन हार्वेस्टर; और

(iv) पावर टिलर.

**3. परिभाषाएँ** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **"स्वचालित परीक्षण स्टेशन"** का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा 2 में दिया गया है;

(ग) **"थोक उपभोक्ता"** से एक सौ से अधिक वाहनों का स्वामित्व रखने वाला उपभोक्ता अभिप्रेत है, और इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में परिभाषित राज्य परिवहन उपक्रम शामिल हैं;

(घ) **"केन्द्रीय बोर्ड"** से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल" से नियम 16 के उप-नियम (1) के अंतर्गत विकसित और अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है;

(च) **"संग्रहण केंद्र"** का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) में दिया गया है;

(छ) **"निपटान"** से किसी ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिससे पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण का कार्य नहीं होता है और इसमें भौतिक-रासायनिक या जैविक उपचार या सुरक्षित लैंडफिल में निक्षेपण शामिल है;

(ज) "पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन पद्धति" से प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन का ऐसी रीति से संचालन और निपटान करना अभिप्रेत है जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके, जो पुराने हो चुके वाहन में निहित किसी पदार्थ के कारण हो सकता है;

(झ) "प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन" का अर्थ मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट अर्थ होगा;

(ञ) " विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" से पुराने हो चुके वाहन को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति से नष्ट करने के लिए उत्पादक की उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ट) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र" से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियम 9 के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ठ) "सुविधा केन्द्र" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग पुराने हो चुके वाहनों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण या निपटान के लिए किया जाता है;

(ड) "प्रारूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(ढ) "खतरनाक अपशिष्ट" का वही अर्थ होगा जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (17) में है।

(ण) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर वाहनों के विनिर्माण में लगा हुआ है;

(त) "गैर-परिवहन वाहन" का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ज) में दिया गया है;

(थ) "उत्पादक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित कार्य में संलग्न है :

(i) अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत वाहनों का विनिर्माण या संयोजन और बिक्री; या

(ii) अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित वाहनों की बिक्री अपने स्वयं के ब्रांड द्वारा; या

(iii) वाहनों का आयात।

(द) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम पर वाहन रजिस्ट्रीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहां ऐसे अवयस्क का अभिभावक;

(ध) "पुनर्चक्रणकर्ता" से पुराने हो चुके वाहनों की किसी भी सामग्री के पुनर्चक्रण में लगी हुई इकाई अभिप्रेत है;

(न) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य किसी भी ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादों और कच्चे माल में परिवर्तित किया जाता है;

(प) "नवीनीकरणकर्ता" से प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों की सामग्रियों के नवीनीकरण में लगी इकाई अभिप्रेत;

(फ) "रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र" का अर्थ मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट अर्थ होगा;

(ब) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(भ) "राज्य बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है;

(म) "भंडारण" से पुराने हो चुके वाहनों के भंडारण अभिप्रेत है, जिसमें उसके घटक या भाग शामिल हैं;

(य) "परिवहन वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (47) में दिया गया है;

(य क) "उपचार" से प्रयोग की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन को प्रदूषण-निवारण, तोड़ने, काटने, श्रेडर अपशिष्टों की पुनर्प्राप्ति या निपटान की तैयारी के लिए सौंप दिए जाने के बाद की कोई भी क्रियाकलाप, और प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन और उसके घटकों की पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण या निपटान के लिए किया गया कोई अन्य कार्य अभिप्रेत;

(य ख) "वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी चालित वाहन, ई- रिक्शा या ई-कार्ट शामिल हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

**4. उत्पादक का उत्तरदायित्व –** (1) प्रत्येक उत्पादक -

(i) उन वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का दायित्व पूरा करेगा जिन्हें उत्पादक ने घरेलू बाजार में पेश किया है या प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट स्क्रैपिंग लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए स्व-उपयोग में लाए जाने वाले वाहन भी शामिल हैं;

(ii) निर्माता द्वारा घरेलू बाजार में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने वाले वाहनों के लिए अनुसूची में उल्लिखित पुराने हो चुके वाहनों के स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करेगा;

(iii) वैधता समाप्ति वाले वाहनों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र या अभिहीत संग्रहण केंद्रों पर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा;

(iv) अपने स्वयं के रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र द्वारा या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा वाली किसी इकाई द्वारा सृजित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेगा;

(v) कोई भी स्कीम जैसे कि बायबैक स्कीम, जमा वापसी स्कीम या कोई अन्य योजना लागू करना, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्व को पूरा करने के लिए किसी अन्य इकाई को अभिहीत करेगा;

(vi) केंद्रीय बोर्ड से केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(vii) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून तक केंद्रीय बोर्ड को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्ररूप 1 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा -

(क) वाहनों की संख्या और प्रकार (परिवहन या गैर-परिवहन) तथा बाजार में उपलब्ध कराए गए वाहनों में प्रयुक्त इस्पात के भार के संबंध में सूचना, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में स्वयं के उपयोग में लाए गए वाहन भी शामिल हैं;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों की पूर्ति के संबंध में;

(viii) केंद्रीय बोर्ड को चालू वर्ष के लिए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों की घोषणा उसी वर्ष 30 अप्रैल तक करना;

(ix) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण या निर्धारित दायित्व में निहित सूचना में किसी परिवर्तन तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में निर्धारित दायित्व में निर्दिष्ट वाहनों को बाजार में उपलब्ध कराने के संबंध में किसी स्थायी समाप्ति की सूचना केन्द्रीय बोर्ड को देगा;

(x) प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों के संचालन और प्रबंधन में शामिल किसी भी इकाई द्वारा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के ध्यान में लाएगा;

(xi) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित एआईएस-129 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उपाय करेगा।

(2) कोई भी उत्पादक, इन नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत न होने वाली किसी भी इकाई के साथ वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को नष्ट करने या इन नियमों के अन्तर्गत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से अनुबंध नहीं करेगा।

(3) कोई उत्पादक इन नियमों के अंतर्गत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत इकाई को नियुक्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक उत्पादक को वाहनों के संधारणीय उत्पादन के लिए उपाय करने होंगे, जिसमें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना भी शामिल है।

(5) प्रत्येक उत्पादक को रजिस्ट्रीकृत स्वामी से पुराने हो चुके वाहन को किसी निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र जिसमें उसका विक्रय केन्द्र भी शामिल है, पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी और निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र, विक्रय केन्द्र की ऐसी सूची को अपनी वेबसाइट पर तथा अपने विक्रय केन्द्रों और सेवा केन्द्रों के किसी प्रमुख स्थान पर अपलोड करना होगा। ऐसे अभिहीत संग्रहण केन्द्रों की सूची केन्द्रीय बोर्ड को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) यदि उत्पादक अपना परिचालन बंद कर देता है, तो उसे इन नियमों के अनुसार परिचालन बंद होने तक बाजार में पहले से उपलब्ध कराए गए वाहनों के संबंध में अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का अनुपालन करना होगा।

(7) प्रत्येक उत्पादक जागरूकता अभियान चलाएगा और ग्राहकों को प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र या निर्दिष्ट संग्रहण केंद्र पर सुरक्षित जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

**5. रजिस्ट्रीकृत स्वामी और थोक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व -** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी और थोक उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन का परीक्षण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52 के अनुसार किया गया है।

(2) जब कोई वाहन, मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और उसके कार्य) नियम, 2021 के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाला वाहन बन जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत स्वामी या थोक उपभोक्ता को वाहन के प्रयोग की अवधि समाप्त होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर उत्पादक के किसी भी अभिहीत बिक्री आउटलेट या अभिहीत संग्रहण केंद्र या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में पुराने हो चुके वाहन को जमा करना होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहन को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

(4) थोक उपभोक्ता को राज्य बोर्ड से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा।

(5) थोक उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून को या उससे पहले केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर **प्ररूप 2** में वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें उसके स्वामित्व वाले वाहनों का ब्यौरा होगा और उत्पादक के अभिहीत बिक्री आउटलेट या अभिहीत संग्रहण केंद्र या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में जमा किए गए पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऐसे प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों का ब्यौरा होगा।

**6. संग्रहण केन्द्र का उत्तरदायित्व-** (1) प्रत्येक संग्रहण केन्द्र को वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को एकत्रित और संगृहीत करना होगा तथा उन्हें रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में भेजना होगा।

(2) प्रत्येक संग्रहण केन्द्र, पुराने हो चुके वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल रीति से संभालेगा तथा उन्हें रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में भेजेगा।

(3) संग्रहण केन्द्र अपने द्वारा प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र को भेजे गए पुराने हो चुके वाहन का रिकार्ड रखेगा तथा जिस रीति से ऐसे वाहन को संभाला जाता है उसका भी रिकार्ड रखेगा।

**7. स्वचालित परीक्षण केन्द्र का उत्तरदायित्व.-** (1) स्वचालित परीक्षण केन्द्र केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 182 के अंतर्गत अनुपयुक्त घोषित किए गए सभी वाहनों के ब्यौरे सीधे तौर पर या उक्त नियमों के नियम 181 के उप-नियम (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को लिंक करके केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

**8. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का उत्तरदायित्व.-** (1) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र पर्यावरण के अनुकूल रीति से पुराने हो चुके वाहनों की स्क्रैपिंग से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलाप करेगा, अर्थात:-

(i) उपचार (प्रदूषण-मुक्ति, तरल पदार्थ, गैस, उत्प्रेरक, पारा युक्त भागों, बैटरियों और खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण, प्रदूषण निवारण);

(ii) विघटन (विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का विनियोजन और पृथक्करण);

(iii) विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों का अलग-अलग कूड़ेदानों में सुरक्षित भंडारण;

(iv) सामग्री (प्लास्टिक, धातु, टायर, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स, मैग्नेट, बैटरी और ई-कचरा) का स्वयं या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता के माध्यम से पुनर्चक्रण और नवीनीकरण।

(2) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र -

(क) अनुपयुक्त वाहनों या वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए प्राप्त करेगा तथा संबंधित कानूनों के उपबंधों के अनुसार उपचार, प्रदूषण-निवारण, विघटन, पृथक्करण और स्क्रैपिंग क्रियाकलाप संचालित करेगा।

(ख) प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से प्राप्त सभी और पृथक सामग्रियों को, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण सुविधा न होने की स्थिति में, घटकों या सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं के पास भेजेगा;

(ग) पुनर्चक्रण/नवीनीकरण नहीं की जा सकने वाली सामग्री और उपयोग न की जा सकने वाली खतरनाक सामग्री को परिसंकटमय एंव अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भण्डारन और निपटान सुविधा में भेजेगा;

(घ) उत्पादकों द्वारा खरीद के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जीवन-समाप्त-वाहनों से स्टील की मात्रा के आधार पर प्रत्येक जीवन-समाप्त वाहन के प्रसंस्करण हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का आदान-प्रदान करना;

(ङ) जीवन-समाप्त-वाहनों की प्राप्ति इनसे उत्पन्न सामग्री और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं या शोधन केंद्रों और निपटान केंद्रों को सौंपी गई विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्री के वजन का रिकॉर्ड रखेगा।

(च) संबंधित राज्य बोर्ड से प्ररूप 5 में आवेदन करेगा और संचालन या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र को पिछली तिमाही के अगले महीने की 30 तारीख तक प्राप्त जीवन-समाप्त-वाहनों के भार और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की गई या पुनर्चक्रण/नवीनीकरण, प्रसंस्करण हेतु साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्रों को भेजी गई सामग्रियों के वजन (श्रेणी-वार) के संबंध में राज्य बोर्ड को **प्ररूप-3** में तिमाही विवरणी फाइल करना होगा और रिकार्ड रखना होगा।

**9. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र –** (1) केंद्रीय बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के पक्ष में तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र को सत्यापित और प्रमाणित करेगा। केंद्रीय बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे आदान-प्रदान के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र प्रसंस्कृत जीवन-समाप्त-वाहनों से प्राप्त इस्पात या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री के वजन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र विनिर्माताओं द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।

(4) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (किग्रा में) = रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर उत्पन्न इस्पात स्क्रैप का भार (किग्रा में)

परन्तु कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र अन्य सभी जीवन-समाप्त-वाहनों सामग्रियों के पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लेखांकन और उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन के कुल वजन में से रिकवर न करने योग्य/गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकरणीय खतरनाक सामग्रियों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ढंग से निपटान की शर्त पर तैयार किए जाएंगे।

(5) कोई भी विनिर्माता विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र अपनी चालू वर्ष की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों की कोई शेष देयता और चालू वर्ष की देयता खरीद सकता है।

(6) उत्पादक द्वारा क्रय किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, इन नियमों के अंतर्गत उनके दायित्वों के विरुद्ध स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएंगे।

(7) समायोजन में प्राथमिकता पहले के दायित्व या पूर्ववर्ती वर्षों के दायित्वों को दी जाएगी।

(8) उत्पादक द्वारा अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का पुनः आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।

(9) उत्पादक द्वारा खरीदा गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र किसी अन्य उत्पादक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

(10) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद और समायोजन से संबंधित सभी ऐसे लेन-देन रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों द्वारा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें तिमाही रिटर्न में शामिल किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र विनिर्माता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए इन नियमों के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

**10. रजिस्ट्रीकरण तथा निलंबन या रद्दीकरण.-** (1) उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के लिए **प्ररूप 4** में आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र और थोक उपभोक्ता राज्य बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के लिए क्रमशः **प्ररूप 5** और **प्ररूप 6** में आवेदन करेगा।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा पंद्रह दिनों के भीतर क्रमश: प्ररूप 7 और प्ररूप 8 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक इसे इन नियमों के अधीन निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(5) केन्द्रीय बोर्ड, उत्पादक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उत्पादक द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में, उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।

(6) उप-नियम (5) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण से व्यथित उत्पादक, ऐसे निलंबन या रद्दीकरण के पैंतालीस दिनों के भीतर, ऐसी अपील के आधारों का उल्लेख करते हुए और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति के साथ, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(7) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (6) के अंतर्गत दायर की गई अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकेगी।

(8) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(9) उप-नियम (8) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण से व्यथित रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता, ऐसे निलंबन या रद्दीकरण के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को ऐसी अपील के आधार बताते हुए और उसके साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए अपील कर सकते हैं।

(10) राज्य सरकार, उप-नियम (9) के अंतर्गत दायर की गई अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो राज्य सरकार के सचिव नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकती है।

**11. केन्द्रीय सरकार की शिथिल करने की शक्तियाँ-** केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, और लिखित में कारण दर्ज करके, किसी विनिर्दिष्ट अवधि को शिथिल कर सकेगी जिसके भीतर उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन रिटर्न फाइल किया जाना है।

**12. केन्द्रीय बोर्ड के उत्तरदायित्व.-** (1) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन के भीतर उत्पादक को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा रद्द या वापस नहीं ले लिया जाता।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय बोर्ड द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण हुआ गया माना जाएगा।

(4) केंद्रीय बोर्ड इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा और बनाए रखेगा।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 181 के उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के अनुरूप होगा।

(6) केन्द्रीय बोर्ड उत्पादक का आवधिक निरीक्षण और लेखा-परीक्षा किसी प्राधिकृत अभिकरण से कराएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी केंद्र इन नियमों के उपबंधों के अधीन आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

(7) केन्द्रीय बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का आवधिक निरीक्षण और लेखा-परीक्षा किसी प्राधिकृत एजेंसी से कराएगा, जिसमें माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से सूचना भी शामिल होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी केंद्र इन नियमों के उपबंधों के अधीन आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

(8) केंद्रीय बोर्ड, या राज्य बोर्ड यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी निर्माता या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

(9) केंद्रीय बोर्ड पर्यावरण की दृष्टि से उचित रूप से उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों की देखरेख, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए और इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(10) केंद्रीय बोर्ड हर वर्ष राज्य बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों को उनकी प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संकलित और प्रदर्शित करेगा।

(11) केन्द्रीय बोर्ड उन उत्पादकों की सूची को, जो अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा।

(12) केन्द्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य और वार्षिक रिटर्न को केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगा।

(13) केन्द्रीय बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य और उनकी पूर्ति, जीवन-समाप्त वाहनों को नष्ट करना, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का सृजन और विनिमय, आदि की जानकारी होगी तथा उसे प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(14) केन्द्रीय बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य निर्धारित करेगा जो एक सौ प्रतिशत के बराबर होगा और तीस प्रतिशत, क्रमशः विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों की पूर्ति न करने के लिए बाध्य संस्थाओं पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का, जिसके बीच उत्पादक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकते हैं।

(15) केंद्रीय बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए अभिकरणों को प्राधिकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी करेगा। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के कारोबार के परिमाण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की संख्या को सीमित किया जा सकता है।

(16) उप-नियम (15) के अंतर्गत इस तरह स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्मों) का संचालन, जो कि कर्तव्य बद्ध संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए है, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(17) केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के पर कार्रवाई के साथ-साथ रिटर्न के लिए भी शुल्क निर्धारित कर सकता है।

**13. राज्य सरकार द्वारा उपाय-** (1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएं।

(2) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जागरूकता अभियान आयोजित करेंगे और ग्राहकों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या अभिहीत संग्रह केंद्र में उपयोग अवधि समाप्त जीवन-समाप्त वाहनों को सही रीति से एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

**14. राज्य बोर्ड का उत्तरदायित्व-** (1) राज्य बोर्ड इन नियमों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे राज्य बोर्ड द्वारा रद्द या वापस नहीं लिया जाता है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि राज्य बोर्ड द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर आपत्ति नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रीकरण पूर्ण हुआ माना जाएगा।

(4) यदि रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो राज्य बोर्ड सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद पांच वर्ष की अवधि तक रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर देगा और इसके अलावा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(5) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट और थोक उपभोक्ता के मामले में वार्षिक रिपोर्ट का संकलन और अग्रेषित करेगा और रिटर्न फाइल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इसे केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(6) राज्य बोर्ड इन नियमों के अधीन दायित्वों की पूर्ति में शामिल सुसंगत हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।

(7) राज्य बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वियन के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा करेगा या किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निरीक्षण कराएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

**15. पर्यावरण क्षतिपूर्ति -** (1) जहां कोई भी, निर्माता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता इन नियमों के अधीन पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत रीति से जीवन के अंत में वाहनों के संचालन और स्क्रैप करने से संबंधित

उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिससे पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान, नुकसान या क्षति हो सकती है, तो वह पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी हानि, क्षति या क्षति के बराबर हो सकता है।

(2) इस नियम के अधीन निर्माता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता को दिए बिना कोई पर्यावरणीय मुआवजा नहीं लगाया जाएगा।

(3) उप-अभिले (1) के अधीन पर्यावरणीय मुआवजा केंद्रीय बोर्ड द्वारा और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता के दायित्वों के संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा लगाया जा सकता है।

(4) जहां निर्माता या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता बाद में बाध्यताओं के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके द्वारा भुगतान की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि, यदि दायित्व का पालन किया जाता है, उसे वापस की जा सकती है-

(क) एक वर्ष के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 75%;

(ख) दो वर्षों के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 60%; और;

(ग) तीन वर्षों के भीतर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 40%।

(5) इस नियम के अधीन भुगतान किए गए पर्यावरणीय मुआवजे को, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा रखे गए एक अलग खाते में रखा जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन भुगतान की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की राशि का उपयोग पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान, क्षति या क्षति की बहाली के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जीवन के अंत में वाहनों के संग्रह, हैंडलिंग, स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग शामिल है।

**16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल.–** (1)केन्द्रीय बोर्ड, इन नियमों के प्रकाशन के छह माह के भीतर उत्पादकों और थोक ग्राहकों द्वारा रजिस्ट्रीकरण और उनके द्वारा विवरणियां फाइल करने और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण और जीवन-समाप्त वाहनों के साथ-साथ सभी संस्थाओं के सभी दायित्वों के संबंध में विवरणियां भरने के लिए एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल चालू करेगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जीवन-समाप्त वाहनों की प्राप्त होने और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का डाटा हर समय केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर परिलक्षित हो।

(3) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल को उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का आदान-प्रदान करनेकी सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(4) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए तथा रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेगा।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेशों सहित सभी क्रियाकलापों के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह होगा।

(6) उत्पादक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास को सुगम बना सकेगा।

**17. कार्यान्वयन समिति.-** (1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी।

(2) यह समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

(3) समिति इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

(4) समिति केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास और संचालन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेगी।

(5) समिति छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और स्क्रैपिंग सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों और किसी भी अन्य हितधारक के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार अभिहीत करेगी।

(7) समिति का अध्यक्ष अपनी बैठकों में किसी भी व्यक्ति या अन्य संगठन को आमंत्रित कर सकेगा जो उसकी राय में समिति के विचार-विमर्श के लिए उपयोगी हो।

**अनुसूची**

[नियम 4(1) (i) देखें]

**विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य.**

1. किसी नए निर्माता द्वारा बाजार में वाहन को उतारने स्थिति में, वाहन की संबंधित श्रेणियों के लिए नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित वाहन के औसत जीवन के आधार पर, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य पूरे करने होंगे।

2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों में वाहनों में प्रयुक्त स्टील को नष्ट करना शामिल है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है।

3. अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग का अर्थ है बेकार वाहनों से स्टील को स्क्रैप करना।

4. बैटरियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत होंगे।

5. अपशिष्ट टायरों और प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के अंतर्गत होगा।

6. उत्पादक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य वाहन के प्रकार (परिवहन वाहन और गैर-परिवहन वाहन) के अनुसार विशिष्ट होंगे।

7. उत्पादक को अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं द्वारा केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के माध्यम से पूरा करना होगा। रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उत्पादक को संग्रह का उत्तरदायित्व भी लेना होगा।

**सारणी**

**(i) गैर-परिवहन वाहनों के लिए:**

| **वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य** | **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (वजन)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | वर्ष 2005-06 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2026-27 | वर्ष 2006-07 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2027-28 | वर्ष 2007-08 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2028-29 | वर्ष 2008-09 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2029-30 | वर्ष 2009-10 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2030-31 | वर्ष 2010-11 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2031-32 | वर्ष 2011 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2032-33 | वर्ष 2012-13 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2023-34 | वर्ष 2013-14 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2034-35 | वर्ष 2014-15 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2035-36 | वर्ष 2015-16 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2036-37 | वर्ष 2016-17 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2037-38 | वर्ष 2017-18 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2038-39 | वर्ष 2018-19 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2039-40 और उसके बाद | वर्ष 2019-20 में 2039-40 के लिए वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% और बाद के वर्षों के लिए, 20 वर्ष पहले वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |

**टिप्पण :** किसी भी वर्ष के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30%, इसके विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन के लिए अगले चार वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

**(ii) परिवहन वाहनों के लिए:**

| **वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य** | **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य (वजन)** |
|---|---|
| 2025-26 | वर्ष 2010-11 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2026-27 | वर्ष 2011-12 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2027-28 | वर्ष 2012-13 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2028-29 | वर्ष 2013-14 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2029-30 | वर्ष 2014-15 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2030-31 | वर्ष 2015-16 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2031-32 | वर्ष 2016-17 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2032-33 | वर्ष 2017-18 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2023-34 | वर्ष 2018-19 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2034-35 | वर्ष 2019-20 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2035-36 | वर्ष 2020-21 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2036-37 | वर्ष 2021-22 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2037-38 | वर्ष 2022-23 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2038-39 | वर्ष 2023-24 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2039-40 और उसके बाद | 2024-25 में वाहनों में उपयोग किए गए स्टील का न्यूनतम 18%, 2039-40 के लिए और उसके बाद के वर्षों के लिए, 15 वर्ष पहले वाहनों में उपयोग किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |

**टिप्पण :** किसी भी वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30%, उसके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन के लिए आगामी चार वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

**प्ररूप 1**

[देखें [नियम 4(1)(vii)]

**निर्माता द्वारा भरा जाने वाला वार्षिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. विनिर्माता का नाम:

2 विनिर्माता का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3 अधिकृत व्यक्तिका नाम और ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर एवं मोबाइल नंबर सहित पूर्ण पता:

4 जीएसटी नंबर

5 टीआईएन सं.

6. नीचे दी गई सारणी के अनुसार उस वर्ष के बाजार में लाये गये वाह्नों का विवरण जिन पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की गणना की गई है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | प्रकार | ब्रांड का नाम | वाहनों की सं. | कुल वजन | वाहनों में स्टील का वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | | दो पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 2 | | तीन पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 3 | | चार पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 4 | | दो पहिया (परिवहन) | | | | |
| 5 | | तीन पहिया (परिवहन) | | | | |
| 6 | | चार पहिया (परिवहन) | | | | |

7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता (ओं) और एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किए गए जीवनकाल समाप्ति-वाहनों का विवरण, जिसके लिए रिटर्न फाइल किया जा रहा है:

(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता:

(ख) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर प्रसंस्करण किए गए प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहनों/ ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित अन्य इस्पात स्क्रैप सामग्री में से इस्पात का वजन:

8. आरवीएसएफ-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का ब्यौरा

**टिप्पण** : विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन में उत्पादकों द्वारा स्व-उपयोग के लिए रखे गए वाहन शामिल हैं

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

**प्ररूप 2**

[देखें: नियम 5(5)]

**थोक उपभोक्ता द्वारा भरा जाने वाला वार्षिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. थोक उपभोक्ता का नाम:

2. थोक उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3. अधिकृत व्यक्ति (ओं) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता:

4. थोक उपभोक्ता के मामले में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में रजिस्ट्रीकृत वाहनों और प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन का विवरण:

    i. रजिस्ट्रीकृत वाहनों की संख्या (2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रांसपोर्ट या नॉन-ट्रांसपोर्ट):
    ii. डीजल के मामले में दस वर्ष और पेट्रोल या सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी करने वाले वाहनों की संख्या:
    iii. फिट वाहनों की संख्या:
    iv. अनफिट या जीवनकाल समाप्ति वाहनों की संख्या:
    v. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा किए गए प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन की संख्या

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

**प्ररूप 3**

[देखें: नियम 8(3)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के द्वारा त्रैमासिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का नाम:

2. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3. अधिकृत व्यक्ति (ओं) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता:

4. प्रतिवर्ष वाहनों की संख्या की दृष्टि से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की क्षमता:

5. वित्तीय वर्ष जिसका रिटर्न फाइल किया जा रहा है, के दौरान प्राप्त और स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या का ब्यौरा:

| क्र.सं. | प्रकार | प्राप्त वाहनों की संख्या | खत्म किए गए वाहनों की संख्या | स्क्रैप किए गए वाहनों का कुल वजन | उत्पन्न स्टील स्क्रैप का कुल वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दो पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 2 | दो पहिया (परिवहन) | | | | |
| 3 | तीन पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 4 | तीन पहिया (परिवहन) | | | | |
| 5 | चार पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 6 | चार पहिया (परिवहन) | | | | |

6. उत्पन्न और आदान-प्रदान किए गए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों का विवरण और संख्या:

7. जिस वित्तीय वर्ष के दौरान रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उसके दौरान रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर पुनर्नवीनीकरण या नवीनीकृत सहित पंजीकृत रिसाइक्लर या रिफर्बिशर को भेजी गई पुनर्चक्रित और नवीनीकृत सामग्री सहित पुनर्प्राप्त और पुनर्चक्रण योग्य या नवीनीकरण योग्य सामग्री का विवरण।

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता (ओं)/ रिफर्बिशर्स के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजे गए ‘पुन: कवर की गई अपशिष्ट टायर’ | | |
| 2 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजे गए पुन: कवर की गई ई-अपशिष्ट | | |
| 3 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई बैटरी अपशिष्ट | | |
| 4 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई प्लास्टिक अपशिष्ट | | |
| 5 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई यूज्ड ऑयल | | |
| 6 | अन्य पुर्नप्राप्त/ पुनर्चक्रित/ नवीनीकृत सामग्री | | |

वर्ष, जिसकी विवरणी फाइल की जा रही है, के दौरान सामान्य खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्र को भेजे गए खतरनाक और गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकृत करने योग्य सामग्रियों का विवरण:

| विवरण | मात्रा सहित विवरण | रजिस्ट्रीकृत सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान केंद्र के नाम |
|---|---|---|
| पुन: कवर की गई खतरनाक सामग्री | | |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

**प्ररूप 4**

[देखें: नियम 10(1)]

**एक निर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निर्माता का नाम | |
| 2 | निर्माता का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण | |
| 3 | प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता | |
| 4 | जी.एस.टी. | |
| 5 | टिन नं. | |
| 6. | निर्मित वाहनों का विवरण | |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 5**

[देखें: नियम 10(2)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा**

[पर्यावरण संरक्षण (जीवन के अंत वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का नाम | |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत पता और वेबसाइट का पता | |
| 3. | फोन नं. (लैंडलाइन और मोबाइल) | |
| 4. | ईमेल आईडी | |
| 5. | प्राधिकृत व्यक्ति का नाम | |
| 6. | प्राधिकृत व्यक्ति (ओं) ईमेल आईडी | |
| 7. | अधिकृत व्यक्ति (ओं) का मोबाइल नंबर | |
| 8. | जीएसटी नम्बर | |
| 9. | अनुमति की वैधता | क. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन,--- तक वैध<br>ख. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन, -- तक वैध |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के नियम 6 के अधीन प्राधिकरण की वैधता | ------------ तक मान्य |
| 11. | जिला उद्योग केंद्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणीकरण की वैधता | -------------- तक मान्य |
| 12. | इकाई में पुनर्नवीनीकरण/ नवीनीकृत/ पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को भेजे गए अपशिष्ट की श्रेणियों का विवरण | |
| 13. | प्रति वर्ष वाहनों की संख्या की दृष्टि रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र की क्षमता | क. स्थापित<br>ख. संचालन (पिछले तीन वर्षों का विवरण) |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 6**

[देखें: नियम 10(2)]

**थोक उपभोक्ता द्वारा**

[पर्यावरण संरक्षण (जीवन के अंत वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संगठन का नाम | | | | |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत पता और वेबसाइट का पता | | | | |
| 3. | फोन नं. | | | | |
| 4. | ईमेल आईडी | | | | |
| 5. | प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम | | | | |
| 6. | प्राधिकृत व्यक्ति (ओं) ईमेल आईडी | | | | |
| 7. | अधिकृत व्यक्ति (ओं) का मोबाइल नंबर | | | | |
| 8. | सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत राज्य परिवहन उपक्रम की स्थापना के संबंध में अधिसूचना का विवरण या पंजीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसकी वैधता, यथा लागू, के संबंध में विवरण (प्रति संलग्न करें) | | | | |
| 9. | पंजीकृत या उक्त संगठन के कब्जे में आने वाले वाहनों की संख्या और विवरण | वाहन का प्रकार | दो पहिया | तीन पहिया | चार पहिया |
| | | परिवहन वाहन | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-परिवहन वाहन | | | |
| | | कुल | | | |
| | | योग कुल | | | |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 7**

[देखे: नियम 10 (3)]

**निर्माता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप**
**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**निर्माता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

संदर्भ: रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन संख्या तारीख :

रजिस्ट्रीकरण संख्या ...........................

मैसर्स,--------------------------- को पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन के संबंध में जीवनकाल समाप्ति वाहनों के निर्माता के रूप में एक बार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों को किसी भी उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

(सदस्य सचिव)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्थान:

तारीख:

**प्ररूप 8**

[देखे: नियम 10 (3)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या**
**थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप**
**राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

संदर्भ: रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन संख्या

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण संख्या : .........................

मैसर्स,……………………………………………….. पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन के संबंध में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता के लिए एक बार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

**(सदस्य सचिव)**
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्थान :
तारीख :

[फा. सं. 23/55/2021-एचएसएम]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2025

**S.O. 98(E).—**WHEREAS the Draft End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide S.O. 367 (E) dated 30th January, 2024 inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public;

And, WHEREAS the Gazette containing the draft of rules were made available to the public on the 30th January, 2024;

And, WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clauses (ii) and (x) of sub-rule (1) and clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025**.**

(2) They shall come into force from 1st day of April, 2025.

**2. Application. –** (1) These rules shall apply to, –

(a) the producer, registered owner of vehicles, bulk consumers, Registered Vehicle Scrapping Facility, collection centres, automated testing stations and entities involved in testing of vehicles, handling, processing and scrapping of End-of-Life vehicles, but shall not apply to:

(i) waste batteries covered under the Battery Waste Management Rules, 2022;

(ii) plastic packaging as covered under the Plastic Waste Management Rules, 2016;

(iii) waste tyres and used oil as covered under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(iv) E-waste as covered under E-Waste (Management) Rules, 2022.

(b) all types of vehicles defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and includes an electric vehicle, battery operated vehicle, e-rikshaw or e-cart, but shall not apply to:

(i) agricultural tractor;

(ii) agricultural trailer;

(iii) combine harvester; and

(iv) power tiller.

**3. Definitions**. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act**"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) **"**automated testing station**"** shall have the meanings assigned to them in sub-section 2 of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(c) **"**bulk consumer**"** means consumer having ownership of more than one hundred vehicles, and includes a State transport undertakings as defined in the clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(d) **"**Central Board**"** means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(e) "centralised online portal" means an online portal developed and maintained under sub-rule (1) of rule 16;

(f) **"**Collection Centre**"** shall have the meanings assigned to them in clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021;

(g) **"**disposal**"** means any activity which does not lead to reuse, recovery, recycling or refurbishing and include physico-chemical or biological treatment or deposition in secured landfill;

(h) **"**environmentally sound management manner**"** means the handling and disposal of End-of-Life vehicle in such a manner that protects human health and environment against any adverse effects, which may result from any substance contained in the End-of-Life vehicle;

(i) "End-of-Life vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (f) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021;

(j) "Extended Producer Responsibility" means responsibility of a producer for scrapping of the End-of-Life vehicle in environmentally sound manner;

(k) "Extended Producer Responsibility certificate" means a certificate issued under rule 9 by the Central Board;

(l) "facility" means any place used for the collection, storage, segregation, recycling or refurbishing, or disposal of End-of-Life vehicles;

(m) "Form" means a Form appended to these rules;

(n) "hazardous waste" shall have the meanings assigned to them in clause (17) of sub-rule (1) of rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(o) **"**manufacturer**"** means a person who is engaged in the manufacture of motor vehicles;

(p) **"**non-transport vehicle**"** shall have the meanings assigned to them in clause (h) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

(q) **"**producer**"** means an entity who is engaged in:

(i) manufacture or assembly and sale of vehicles under its own brand; or

(ii) sale of vehicles under its own brand produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) import of vehicles.

(r) "registered owner" means a person in whose name a vehicle stands registered, and where such person is a minor, the guardian of such minor;

(s) "recycler" means an entity engaged in recycling of any materials of End-of-Life vehicles;

(t) "recycling" means any process by which waste materials are converted into products and raw materials;

(u) "refurbisher" means entity engaged in refurbishing of materials of End-of-Life vehicles;

(v) "Registered Vehicle Scrapping Facility" shall have the meanings assigned to them in clause (k) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021;

(w) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(x) "State Board" means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;

(y) "storage" means storage of End-of-Life vehicles, including its components or parts;

(z) "transport vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (47) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(za) "treatment" means any activity after the End-of-Life vehicle has been handed over for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder wastes, and any other operation carried out for the recovery or recycling or disposal of the End-of-Life vehicle and its components;

(zb) "vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and includes an electric vehicle, battery operated vehicle, e-rikshaw or e-cart.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

**4. Responsibilities of producer –** (1) Every producer must,-

(i) fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility for the vehicles that the producer has introduced or introduces in the domestic market, including vehicles put to self-use to ensure the scrapping targets as specified in **the Schedule**;

(ii) meet the scrapping targets of End-of-Life vehicles as mentioned in **the Schedule** for vehicles the producer has introduced or introduces in the domestic market;

(iii) take necessary measures to encourage End-of-Life vehicles are deposited at the Registered Vehicle Scrapping Facility or designated Collection Centres;

(iv) fulfil the Extended Producer Responsibility either through purchase of Extended Producer Responsibility certificate generated by its own Registered Vehicle Scrapping Facility or by any entity having Registered Vehicle Scrapping Facility;

(v) deploy any schemes such as buy back scheme, deposit refund scheme or any other, and designate any other entity to fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility;

(vi) obtain registration as a producer from Central Board through centralised online portal;

(vii) furnish annual returns in **Form 1** on centralised online portal to Central Board by 30th June for the previous financial year-

(a) in respect of the information regarding the number and type of the vehicles (transport or non-transport) and the weight of steel used in vehicles placed in the market, including vehicles put to self-use in previous financial year;

(b) in respect of fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations during the previous financial year;

(viii) declare its Extended Producer Responsibility obligations for the current year by 30th April of the same year to the Central Board;

(ix) inform the Central Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility registration or obligation and of any permanent cessation as regards to the making available on the market of the vehicles referred to in the Extended Producer Responsibility obligation;

(x) bring to the notice of the Central Board or State Board of any violations or non-compliance or violation of the provisions of these rules by any entity involved in handling and management of End-of-Life vehicles;

(xi) take measures to comply with the provisions of AIS-129, as published by the Central Government under Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) A producer shall not engage in any manner with any entity not registered under these rules for scrapping of the End-of-Life vehicles or for fulfilling its Extended Producer Responsibility under these rules.

(3) A producer may engage any registered entity to fulfil its Extended Producer Responsibility under these rules.

(4) Every producer shall take measures for sustainable production of vehicles including in accordance with the guidelines issued by the Central Board.

(5) Every producer must make necessary arrangements to receive the End-of-Life vehicle from the registered owner at any designated Collection Centre, including its sales outlet and shall upload such list of designated Collection Centre, sales outlet on its website and at a conspicuous place of its sales outlets and service centres. List of such designated collection centres shall be furnished to Central Board on centralised online portal.

(6) In case the producer stops its operations, the producer must comply with its Extended Producer Responsibility in respect of vehicles already made available in the market till closure of operations, in accordance with these rules.

(7) Every producer shall organise awareness campaigns and encourage customers by offering incentives to safe deposit of End-of-Life vehicles at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

**5. Responsibilities of registered owner and bulk consumer** – (1) Every registered owner and bulk consumer must ensure that the vehicle is tested in accordance with the section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 and rule 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) When a vehicle becomes an End-of-Life vehicle as per the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021, the registered owner or bulk consumer must deposit the End-of-Life vehicle at any of the producer's designated sales outlet or designated Collection Centre or Registered Vehicle Scrapping Facility within a period of one hundred and eighty days from the date the vehicle becomes the End-of-Life vehicle.

(3) No person shall keep in possession any End-of-Life vehicle beyond the period specified in sub-rule (2).

(4) A bulk consumer must obtain registration on the centralised online portal from the State Board.

(5) A bulk consumer must file an annual return in **Form 2** on or before 30th June for the previous financial year on the centralised online portal about the details of vehicles it owns or possesses and the End-of-Life vehicles deposited at producer's designated sales outlet or designated Collection Centre or Registered Vehicle Scrapping Facility for scrapping of such End-of-Life vehicle.

**6. Responsibilities of Collection Centre-** (1) Every Collection Centre must collect and store End-of-Life vehicles and send them to Registered Vehicle Scrapping Facility.

(2) Every Collection Centre shall handle the End-of-Life Vehicles in an environmentally sound manner and send them to Registered Vehicle Scrapping Facility.

(3) The Collection Centre shall maintain the records of the End-of-Life vehicle received by it and sent to the Registered Vehicle Scrapping Facility and the manner in which such vehicle is handled.

**7. Responsibilities of automated testing station**. – (1) An automated testing station shall upload the details of all vehicles declared unfit under rule 182 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, on the centralised online portal either directly or through linking of the electronic portal set up by the Central Government under sub-rule (1) of rule 181 of the said rules.

**8. Responsibilities of Registered Vehicle Scrapping Facility**.– (1) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall undertake the following activities relating to scrapping of End-of-Life vehicles in an environmentally sound manner, namely:-

(i) treatment (de-pollution, collection of liquids, gases, catalyst, mercury containing parts, batteries and hazardous waste);

(ii) dismantling (segregation and separation of various types of wastes);

(iii) safe storage of various categories of wastes in separate bins;

(iv) recycling and refurbishment of materials (plastic, metals, tyres, catalytic converters, magnets, batteries and e-waste) on its own or through authorized recyclers or refurbishers.

(2) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall-

(a) receive unfit vehicles or End-of-Life vehicles for scrapping and must carry out treatment, depolluting, dismantling, segregation and scrapping activities in accordance with the provisions of the relevant laws.

(b) send all the recovered and segregated materials from End-of-Life vehicles to the registered recyclers or refurbishers, co-processors for recycling and reuse of components or materials, in case of not having recycling or refurbishing facility;

(c) send all non-recyclable or non-refurbishable materials and non-utilizable hazardous materials to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility authorised under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(d) exchange the Extended Producer Responsibility certificates upon processing of every End-of-Life vehicle based on the quantity of steel from the End-of-Life vehicles on the centralized online portal for issuance of Extended Producer Responsibility certificates by Central Board for purchase by the producers;

(e) maintain records of receipt of End-of-Life vehicle, weight of various types of waste materials generated and handed over to authorized recyclers or refurbishers or treatment facilities and disposal facilities;

(f) make an application in **Form 5** to concerned State Board and obtain registration for operation or Registered Vehicle Scrapping Facility.

(3) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall file quarterly returns on the centralised online portal to State Board in **Form 3** on weight of End-of-Life vehicles received and weight of materials (category-wise) recycled or refurbished or sent for recycling or refurbishing, processing, and Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities by 30th day of the next month of the previous quarter, and keep a record.

**9. Extended Producer Responsibility certificate. –** (1) The Central Board shall issue the Extended Producer Responsibility certificate through the centralised online portal in favour of the Registered Vehicle Scrapping Facility. Central Board will develop mechanism for such exchange on the centralised online portal.

(2) An Extended Producer Responsibility certificate shall be generated on basis of the weight of steel recovered from the End-of-Life vehicles processed at the Registered Vehicle Scrapping Facility or other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility in accordance with the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

(3) An Extended Producer Responsibility certificate generated by the Registered Vehicle Scrapping Facility can be purchased by a producer through the centralised online portal to meet the Extended Producer Responsibility obligations under these rules.

(4) The following formula shall be used to estimate the Extended Producer Responsibility certificate for the Registered Vehicle Scrapping Facility, namely:-

Extended Producer Responsibility certificate (in kg) = weight of the steel scrap generated (in kg) at Registered Vehicle Scrapping Facility:

Provided that the Extended Producer Responsibility certificate shall be generated subject to the accounting of recycling and refurbishing of all other End-of-Life vehicle materials and environmentally sound disposal of non-recoverable or non-recyclable or non-refurbishable hazardous materials out of the total weight of the End-of-Life vehicle.

(5) A Producer can purchase Extended Producer Responsibility certificate limited to its Extended Producer Responsibility obligation of current year plus any leftover obligation of preceding years.

(6) An Extended Producer Responsibility certificates purchased by the Producer shall be automatically adjusted against their obligations under these rules.

(7) Priority in adjustment shall be given to the earlier obligation or obligation of the preceding years.

(8) An Extended Producer Responsibility certificate used by the producer to meet its Extended Producer Responsibility obligations shall not be exchanged again.

(9) An Extended Producer Responsibility certificate purchased by the producer is not transferrable to any other producer.

(10) All such transactions relating to purchase and adjustment of Extended Producer Responsibility certificate shall be recorded and submitted by the Registered Vehicle Scrapping Facilities on the centralised online portal and shall be included in its quarterly returns.

(11) An Extended Producer Responsibility certificate generated by the Registered Vehicle Scrapping Facilities shall be valid for a period of five years for meeting the obligations of producer under these rules.

**10. Registration and suspension or cancellation.-** (1) A producer shall make an application in **Form 4** for registration to the Central Board.

(2) A Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer shall make an application in **Form 5 and Form 6,** respectively, for registration, to the State Board.

(3) On receipt of the application, the Central Board or the State Board shall register the producer or the Registered Vehicle Scrapping Facility or the bulk consumer and issue a certificate of registration in **Form 7 and Form 8** within fifteen days, respectively.

(4) The registration certificate granted under sub-rule (3) shall be valid until it is suspended or cancelled under these rules.

(5) The Central Board may, after giving the producer an opportunity of being heard, suspend or cancel the registration of a producer, in case of violation or non-compliance of any provisions of these rules by the producer.

(6) The producer aggrieved by the suspension or cancellation of the registration under sub-rule (5) may prefer an appeal stating therein the grounds of such appeal and accompanied with a copy of the order appealed against to the Central Government within forty-five days of such suspension or cancellation.

(7) The Central Government may authorise an officer of the Central Government not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India to hear and dispose of the appeal filed under sub-rule (6) within a period of forty-five days from the date of its receipt.

(8) The State Board may, after giving the Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer an opportunity of being heard, suspend or cancel the registration of a Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer, in case of violation or non-compliance of any provisions of these rules by the Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer.

(9) The Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer aggrieved by the suspension or cancellation of the registration under sub-rule (8) may prefer an appeal stating therein the grounds of such appeal and accompanied with a copy of the order appealed against to the State Government within forty-five days of such suspension or cancellation.

(10) The State Government may authorise an officer of the State Government not below the rank of Secretary to that Government to hear and dispose of the appeal filed under sub-rule (9) within a period of forty-five days from the date of receipt.

**11. Powers of Central Government to relax. –** The Central Government, may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any specified period within which a return is to be filed by the producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer under these rules.

**12. Responsibilities of Central Board. –** (1) Central Board shall register the producer through the centralized online portal within fifteen days from the submission of the application for such registration under these rules.

(2) The registration shall be valid until it is cancelled or withdrawn by the Central Board.

(3) On receipt of the application for registration, it shall be deemed to have been done if not objected to by the Central Board within fifteen days.

(4) The Central Board shall develop and maintain the centralised online portal for the purposes of these rules.

(5) The centralised online portal shall be linked with the electronic portal set up by the Central Government under sub-rule (1) of rule 181 of the Motor Vehicles Rules, 1989.

(6) The Central Board shall undertake or cause to be undertaken by an authorised agency the periodic inspection and audit of the producer to ensure that such facility is complying with the requirement under the provisions of these rules.

(7) The Central Board may undertake or cause to be undertaken by an authorised agency the periodic inspection and audit of the Registered Vehicle Scrapping facility, including information from Goods and Services Tax Network portal, to ensure that such facility is complying with the requirement under the provisions of these rules.

(8) The Central Board, or the State Board if directed by the Central Board, may take necessary actions against violations or for non-fulfilment of obligations under these rules against a producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or any other person under the provisions of the Act.

(9) The Central Board shall issue guidelines for handling, processing and recycling or refurbishing of materials of End-of-Life vehicles in environmentally sound manner and for implementation of these rules.

(10) The Central Board shall compile and publish the data received every year from the State Boards on the centralised online portal within a period of sixty days from the receipt of such data.

(11) The Central Board shall publish the list of producers who have failed to meet their Extended Producer Responsibility targets and obligations on an annual basis on the centralised online portal by 31st August every year.

(12) The Central Board shall forward the Extended Producer Responsibility targets and annual returns of producers to the Central Government through the centralised online portal by 31st August every year.

(13) The Central Board shall prepare an annual report containing information which, *inter alia*, includes the Extended Producer Responsibility targets of producers and their fulfilment, scrapping of End-of-Life vehicles, and generation and exchange of the Extended Producer Responsibility certificates and furnish to the Central Government through the centralised online portal by 31st August every year.

(14) The Central Board shall fix the highest and lowest price for the Extended Producer Responsibility certificates which shall be equal to one hundred percent. and thirty per cent., respectively of the Environmental Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations, between which producers may purchase Extended Producer Responsibility certificates from Registered Vehicle Scrapping Facility through the centralised online portal.

(15) Central Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of Extended Producer Responsibility certificates. The number of electronic platform may be restricted keeping in view volume of trade of Extended Producer Responsibility certificates.

(16) The operation of electronic platform (s), so established under sub-rule (15) for exchange of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities, shall be as per guidelines issued by Central Board with the approval of Central Government.

(17) Central Board may determine the fee for processing of applications for registration as well as returns for producers, Registered Vehicle Scrapping facilities with the approval of the Central Government.

**13. Measures by State Government. –** (1) The State Government and the Union territory Administration shall take steps to ensure that adequate number of Registered Vehicle Scrapping Facilities and automated testing

stations are established in the respective State and Union territory in accordance with the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

(2) State Government and Union territory Administration will organise awareness campaigns and encourage and incentivise customers to engage in safe deposition of End-of-Life vehicles at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

**14. Responsibilities of State Board. –** (1) The State Board shall register the Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer electronically on the centralized online portal within fifteen days from the submission of the application for such registration under these rules.

(2) The registration shall be valid until it is cancelled or withdrawn by the State Board.

(3) On receipt of the application for registration, it shall be deemed to be have done if not objected by the State Board within fifteen days.

(4) In case the information provided by Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer is found to be false, the State Board shall suspend or cancel the registration up to a period of five years, after giving reasonable opportunity of being heard and in addition take actions in accordance with the provisions of the Act.

(5) The State Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by Registered Vehicle Scrapping Facility and annual reports in case of bulk consumer to Central Board and publish it on the centralised online portal within a period of thirty days from the date of filing of return.

(6) The State Board shall ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.

(7) The State Board shall submit an annual report to Central Board by 30th August every year, regarding implementation of these rules.

(8) The State Board shall undertake periodic inspection and audit, or cause to be inspected by an authorised agency, of the Registered Vehicle Scrapping Facility to ensure the compliance of these rules and may take necessary actions against violations or for non-fulfilment of obligations under these rules against a Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer or any other person under the provisions of the Act.

**15. Environmental Compensation. –** (1) Where any producer, Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer fails to comply with the provisions relating to handling and scrapping of End-of-Life vehicles in environmentally sound manner under these rules, thereby causing loss, damage or injury to environment or public health, he shall be liable to pay environmental compensation which may be equal to such loss, damage or injury in accordance with the guidelines issued by the Central Board.

(2) No environmental compensation shall be imposed under this rule without giving the producer, Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer, an opportunity of being heard in this matter.

(3) Environmental compensation under sub-rule (1) shall be imposed by the Central Board in respect of obligations of producer, and by the State Board in respect of obligations of Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer.

(4) Where producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer subsequently complies with the obligations, the amount of environmental compensation paid by him may be returned to him, if the obligation is complied-

(a) within one year, 75% of the environmental compensation;

(b) within two years, 60% of the environmental compensation; and

(c) within three years, 40% of the environmental compensation.

(5) The environmental compensation paid under this rule shall be kept in a separate account maintained by the Central Board or State Board, as the case may be.

(6) The amount of environmental compensation paid under this rule shall be utilised for restoration of loss, damage or injury caused to environment or public health through environmentally sound management including collection, handling, scrapping and recycling of the End-of-Life vehicles and remediation or removal of contamination occurred due to unscientific management of End-of-Life vehicles.

**16. Centralised Online Portal. –** (1) The Central Board shall establish a centralised online portal within six months of publication of these rules for the registration and filing returns by producers and bulk consumer, and for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and filing returns in respect of End- of-Life Vehicles and for fulfilment of obligations under these rules.

(2) The Central Board shall ensure that the data on the receipt of the End-of-Life vehicles and the various types of waste materials generated by Registered Vehicle Scrapping Facility is reflected all the times on the centralised online portal.

(3) The centralised online portal must facilitate producers and Registered Vehicle Scrapping Facilities to exchange Extended Producer Responsibility certificates for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations of producers.

(4) The State Board shall use the centralized online portal for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer, and for filing of returns by Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer.

(5) The centralised online portal shall be single point data repository with respect to all the activities, including orders issued, under these rules.

(6) The producer may facilitate the development of the centralised online portal.

**17. Implementation Committee. –** (1) The Central Government may constitute a committee under chairpersonship of Chairman of the Central Board for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules.

(3) The committee shall take such measures as may be necessary for effective implementation of these rules.

(4) The committee shall guide and supervise the development and operation of the centralised online portal.

(5) The committee shall meet at least once in six months and submit its report to the Central Government.

(6) The committee shall consist of the representatives from Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Steel, Bureau of Indian Standards, State Boards, National Environmental Engineering Research Institute, stakeholders representing producers, recyclers and scrapping facilities and any other stakeholder, as the Central Government may nominate.

(7) The chairperson of the committee may invite to its meetings any person or other organisations as in his or her opinion may be useful to the deliberations of the committee.

## SCHEDULE

[see rule 4 (1)(i)]

## TARGETS FOR EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY

**1.** In case of any producer introducing vehicle in the market, the Extended Producer Responsibility targets shall be applicable for different categories of vehicle, based on the average life of the vehicle mentioned in the Tables below for the respective categories of vehicle.

**2.** The Extended Producer Responsibility targets comprise of scrapping of steel used in vehicles as mentioned in the Tables below.

**3.** The scrapping of End-of-Life vehicles means scrapping of steel from End-of-Life vehicles.

**4.** Extended Producer Responsibility targets for batteries will be as under Battery Waste Management Rules, 2022.

**5.** Extended Producer Responsibility for waste tyres and used oil will be as under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

**6.** Extended Producer Responsibility targets for the producer shall be specific to the type of vehicle (transport vehicle and non-transport vehicle).

**7.** The producers shall meet their Extended Producer Responsibility obligations through the Extended Producer Responsibility certificates made available by Registered Vehicle Scrapping Facilities through centralized portal. In case of non-availability of Extended Producer Responsibility certificates with Registered Vehicle Scrapping Facilities, the producer shall have the responsibility of collection as well.

**TABLE**

**(i) For non-transport vehicles:**

| **Extended Producer Responsibility target for Financial Year** | **Extended Producer Responsibility target (Weight)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2005-06 |
| 2026-27 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2006-07 |
| 2027-28 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2007-08 |
| 2028-29 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2008-09 |
| 2029-30 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2009-10 |
| 2030-31 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2010-11 |
| 2031-32 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2011- |
| 2032-33 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2012-13 |
| 2023-34 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2013-14 |
| 2034-35 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2014-15 |
| 2035-36 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2015-16 |
| 2036-37 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2016-17 |
| 2037-38 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2017-18 |
| 2038-39 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2018-19 |
| 2039-40 and onwards | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2019-20 for 2039-40 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 20 years ago |

**Note:** 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

**(ii) For transport vehicles:**

| **Extended Producer Responsibility target for Financial Year** | **Extended Producer Responsibility target (Weight)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2010-11 |
| 2026-27 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2011-12 |
| 2027-28 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2012-13 |
| 2028-29 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2013-14 |
| 2029-30 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2014-15 |
| 2030-31 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2015-16 |
| 2031-32 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2016-17 |
| 2032-33 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2017-18 |
| 2023-34 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2018-19 |
| 2034-35 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2019-20 |
| 2035-36 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2020-21 |
| 2036-37 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2021-22 |
| 2037-38 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2022-23 |
| 2038-39 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2023-24 |
| 2039-40 and onwards | Min 18% of the steel used in vehicles in 2024-25 for 2039-40 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 15 years ago |

**Note:** 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

**FORM 1**

[see rule 4(1)(vii)]

**ANNUAL RETURN BY THE PRODUCER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1 Name of producer:

2 Registered address of producer, website address and contact details:

3 Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number

4 GST No.

5 TIN No.

6. Details of vehicles placed in the market of the year on which Extended Producer Responsibility target is calculated as per the Table given below:

| Serial Number | Financial Year | Type | Brand name | No. of vehicles | Total Weight | Weight of steel in the vehicles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | | 2 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 2 | | 3 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 3 | | 4 Wheeler (-non-transport) | | | | |
| 4 | | 2 Wheeler (transport) | | | | |
| 5 | | 3 Wheeler (transport) | | | | |
| 6 | | 4 Wheeler (transport) | | | | |

7. Details of Extended Producer Responsibility obligation(s) and the End-of-Life vehicles collected and recycled for which the return is being filed:

a. Extended Producer Responsibility obligation:

b. Weight of steel from End-of-Life vehicles/ other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility:

8. Details of Registered Vehicle Scrapping Facility-wise Extended Producer Responsibility certificates

Note.- Extended Producer Responsibility target compliance includes vehicles put to self-use by producers

Date:
Place:

Signature of the authorised person:

**FORM 2**

[see rule 5(5)]

**ANNUAL RETURN BY BULK CONSUMER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1. Name of Registered bulk consumer:
2. Registered address of bulk consumer, website address and contact details:
3. Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number:
4. Details of vehicles registered and End-of-Life vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facility, in case of bulk consumer:
   - i. Number of vehicles registered (2 wheeler, 3 wheeler, 4 wheeler and transport or non-transport):
   - ii. Number of vehicles which have completed age of ten years in case of diesel and fifteen years in case of petrol or CNG or electric vehicles:
   - iii. Number of fit vehicles:
   - iv. Number of unfit or End-of-Life vehicles:
   - v. Number and details of End-of-Life vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facility

Place:
Date:

Signature of the authorised person:

**FORM 3**

[see rule 8(3)]

**QUARTERLY RETURNS**

**BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1. Name of Registered Vehicle Scrapping Facility:
2. Registered address of Registered Vehicle Scrapping Facility, website address and contact details:
3. Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number:
4. Capacity of Registered Vehicle Scrapping Facility in terms of no. of vehicles per annum:
5. Details of numbers of vehicles received and scrapped during the financial year of which the return is being filed:

| SI No. | Type | No. of End-of-Life vehicles received | No. of End-of-Life vehicles scrapped | Total weight of the vehicles scrapped | Total weight of steel scrap generated |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 2 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 2 | 2 Wheeler (transport) | | | | |
| 3 | 3 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 4 | 3 Wheeler (transport) | | | | |
| 5 | 4 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 6 | 4 Wheeler (transport) | | | | |

6. Details and number of Extended Producer Responsibility certificates generated and exchanged:

7. Details of the recovered and recyclable or refurbishable materials sent to the registered recycler or refurbisher including that of recycled or refurbished at Registered Vehicle Scrapping Facility during the financial year of which the return is being filed:

| Serial Number | **Particulars** | **Quantity** | **Name(s) of registered recycler(s)/refurbisher(s)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Recovered waste tyres sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 2 | Recovered e-waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 3 | Recovered battery waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 4 | Recovered plastic waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 5 | Recovered used oil sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 6 | Other recovered/recycled/refurbished materials | | |

8. Details of the hazardous and non-recyclable/non-refurbishable materials sent to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility during the financial year of which the return is being filed:

| **Particulars** | **Details with quantity** | **Name(s) of registered Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Recovered hazardous materials | | |

**FORM 4**

[See rule 10(1)]

**APPLICATION FOR REGISTRATION BY A PRODUCER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of producer | |
| 2 | Registered address of producer, website address and contact details | |
| 3 | Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number | |
| 4 | GST No. | |
| 5 | TIN No. | |
| 6. | Details of vehicles manufactured | |

Place:

Date:

Signature of the authorised person

**FORM 5**

[see rule 10(2)]

**BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the Registered Vehicle Scrapping Facility | |
| 2. | Registered address and website address | |
| 3. | Phone No. (landline and mobile) | |
| 4. | Email ID | |
| 5. | Authorised person(s) name | |
| 6. | Authorised person(s) email ID | |
| 7. | Authorised person(s) mobile number | |
| 8. | GST Number | |
| 9. | Consent Validity | a. Under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, valid up to -----<br>b. Under the Water (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1974, valid up to --- |
| 10. | Validity of authorisation under rule 6 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 | Valid up to ------------ |
| 11. | Validity of certification of registration with District Industries Centre | Valid up to -------------- |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Details of the categories of waste recycled/refurbished in the unit/sent to registered entities for reuse, recycling and refurbishing | |
| 13. | Capacity of the Registered Vehicle Scrapping Facility in no. of vehicles per annum | a. Installed<br>b. Operating (details of last three years) |

Place:

Date:

Signature of the authorised person

**FORM 6**

[see rule 10(2)]

**BY BULK CONSUMER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

<table>
<tr><td>1.</td><td>Name of the organisation</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Registered address and website address</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Phone No.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Email ID</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Authorised person(s) name</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Authorised person(s) email ID</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Authorised person(s) mobile number</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Details of notification in regard to establishment of State Transport Undertaking under the Road Transport Corporation Act, 1950 or registration and its validity under Companies Act, 2013, as applicable (enclose a copy)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">9.</td><td rowspan="5">Number and details of vehicles registered or in the possession of the said organisation</td><td>Type of Vehicle</td><td>2 Wheeler</td><td>3 Wheeler</td><td>4 Wheeler</td></tr>
<tr><td>Transport</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Non-transport</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Grand total</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Place:

Date:

Signature of the authorised person

**FORM 7**
[see rule 10(3)]

**FORMAT FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRODUCER**

**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD**
**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRODUCER**
[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

Ref.: Your application number for registration Date:

Registration No.: ……………….

M/s--------------------------- is hereby granted one-time registration as producer of End-of-Life vehicles in respect of End-of-Life vehicles as per the provisions of Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025. Any violation of the provisions of the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)
Central Pollution Control Board

Date:
Place:

**FORM 8**
[see rule 10 (3)]

**FORMAT FOR REGISTRATION OF REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY OR BULK CONSUMER**

**STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY OR BULK CONSUMER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

Ref.: Your application number for registration

Date:

Registration No.: ……………….

M/s ----------------------- is hereby granted one-time registration for Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer in respect of End-of-Life vehicles as per the provisions of Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025. Any violation of the provisions of the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)
State Pollution Control Board

Date:
Place:

[F. No. 23/55/2021-HSM]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

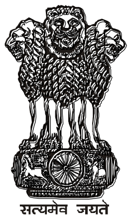

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229931
CG-DL-E-24092021-229931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 537] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943 |
| No. 537] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASWINA 1, 1943 |

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

**सा.का.नि. 653(अ).**—मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान हो जाने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी की प्रतियां 16 मार्च, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया था।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 की धारा 59 की उपधारा (4) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 है।

(2) ये 25 सितंबर, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना –** ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगें;-

(क) यान की सभी प्रवर्गों और उनके अंतिम स्वामियों, मोटर कार, संग्रहण केन्द्रों, आटोमेटिव विखंडन, स्क्रेपिंग और रिसाइकलिंग सुविधाओं और ओटोमेटिव अपशिष्ट उत्पादों की सभी प्रकार की रिसाइकलिंग;

(ख) क्रियाशील यान की समाप्ति के पर्यावरणीय ध्वनी प्रबंधन और ओटोमेटिव उद्योग मानक (एआईएस) 129 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

**3. परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की रैंक से उपर का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम (9) के उपनियम (5) के अनुसार किए गए कार्य के विरुद्ध अपील नियम 15 के अधीन निर्दिष्ट की जा सके;

(ग) "निक्षेप प्रमाणपत्र" से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा और निरुपण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी से यान के स्वामी को अंतरण की मान्यता के लिए, जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "यान स्क्रेपिंग प्रमाणपत्र" से किसी यान के अंतिम निपटान की मान्यता के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "संग्रहण केन्द्र" से कोई सुविधा या कोई क्षेत्र जो केवल संग्रहण के प्रयोजन और क्रियाशील यान की समाप्ति के भंडारण और स्क्रेपिंग यार्ड पर और प्रसंस्करण हेतु इसे भेजने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, अभिप्रेत है;

(च) "क्रियाशील यान की समाप्ति" से सभी यान जो अब वैध रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गए है या ओटोमेटिड फिटनेस केन्द्र के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिए गए है या जिनका रजिस्ट्रीकरण, इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन या किसी न्यायालय के आदेश के कारण या इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट किसी परिस्थिति के कारण वैध रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा उसे अपशिष्ट यान के रूप में स्वत: घोषित किया गया हो, रद्द कर दिया गया हो, अभिप्रेत है;

(छ) "अंतिम निपटान" से यान का ऐसा निरुपण अभिप्रेत है जिसके कारण यान अब इस रूप में उपयोग करने में और सक्षम नहीं है जिसका साक्ष्य चेसिस का कटना और इसके इंजन का निपटान है;

(ज) "रिसाइकलिंग" से मूल प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए किसी पर्यावरणीय ध्वनि रीति में अपशिष्ट का सुधार और प्रसंस्करण अभिप्रेत है;

(झ) "क्रियाशील यान की समाप्ति का रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से,-

(i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (30) में यथापरिभाषित वाहन का स्वामी; या

(ii) कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 57 के अनुसार पब्लिक नीलामी में वाहन के स्वामित्व को प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर" से कोई व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, न्यास या रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के स्वामित्व रखने वाली और प्रचालन करने वाली कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा" से कोई ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो विखंडन और स्क्रेपिंग प्रचालन को जारी रखने के लिए इन नियमों के अधीन जारी किया गया यान स्क्रेपिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण धारण करता हो;

(ठ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो आयुक्त (परिवहन) की रैंक से नीचे का न हो और इस प्रयोजन के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ड) “स्क्रेपिंग” से अभिप्रेत है, ‘क्रियाशील यान की समाप्ति’ की प्राप्ति और रिकोर्ड से पुरी प्रक्रिया जिसमें डिपोल्यूटिंग, विखंडन, सामग्री का पृथक्करण, गैर-पुन: प्रयोज भागों का सुरक्षित निपटान और मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को यान स्क्रेपिंग के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, शामिल हैं;

(ढ) “स्क्रेपिंग यार्ड” से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के परिसर के भीतर नामनिर्दिष्ट अवस्थान जहां क्रियाशील यान की समाप्ति के और निरुपण जिसमें रिसाइकलिंग शामिल हैं, के लिए प्रसंस्करण किया जा रहा है, अभिप्रेत है;

(ण) “निरुपण” से क्रियाशील यान की समाप्ति के पश्चात् कोई क्रियाकलाप जिसमे डिपोल्यूटिंग, विखंडन, कतरने, शीर्ण करने, शीर्णक अपशिष्ट के निपटान के लिए रिकवरी या तैयारी और क्रियाशील यान के समाप्ति की रिकवरी या निपटान के लिए अन्य चलाए गए प्रचालन और उसके घटक के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के संग्रहण केन्द्र को सुपुर्द करना अभिप्रेत है;

(त) “यान” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (28) में यथापरिभाषित मोटर यान या यान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

4. **रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा की शक्तियां और कर्तव्य.–** (1) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को युजर आईडी, पासवर्ड संरक्षण के साथ यान रजिस्ट्रीकरण के वाहन डाटाबेस के लिए कनेक्टिविटी और पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी और जो या तो प्रत्यक्ष या उनके संग्रहण केन्द्र के माध्यम से यान की स्क्रेपिंग संबंधि युक्तियुक्त प्रविष्टियों को करने और निक्षेप के प्रमाणपत्र और स्क्रेपिंग प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए अधिकृत होगी;

(2) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा वाहन डाटाबेस के लिए सुरक्षित पहुंच हेतु आईटी तंत्र के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र अवश्य रखेगी;

(3) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो के साथ-साथ स्थानीय पुलिस द्वारा धारित चोरी हुए यानों के डाटाबेस के साथ स्क्रेपिंग के लिए प्रस्तुत यानों के रिकोर्ड के सत्यापन के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और किसी यान की स्क्रेपिंग से पहले ऐसे सत्यापन को करने का रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा का कर्तव्य होगा;

(4) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा यान स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की वास्तविकता का अवधारण करने के लिए स्क्रेपिंग हेतु यान को सोंपने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करेगा और छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखेगा;

(5) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (गघ) के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए सुविधाकरण केन्द्र के रूप में मान्यताप्राप्त होगी।

5. **रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए पात्रता की शर्तें –** राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार नियम 6 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को प्राधिकार प्रदान करते समय निम्नलिखित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा किसी विधिक अस्तित्व चाहे वह ऐसा व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या विधिज्ञ के अनुसार स्थापित न्यास हो, जिसके पास निम्नलिखित दस्तावेज हो, के स्वामित्वधिन हो सकेगी या उसके द्वारा प्रचालित की जा सकेंगी जिसके पास,-

(i) निगमन प्रमाणपत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार हो;

(ii) वैध माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण; और

(iii) वैध स्थायी खाता संख्या हो।

(ख) अस्तित्व, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार से जिसमें रजिस्ट्रीकरण यान स्क्रेपिंग सुविधा अवस्थित करने का आशय है, के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से स्थापन के लिए सहमती हेतु आवेदन करेंगें या अनुमोदन प्राप्त करेंगे;

(ग) अस्तित्व, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संग्रहण और विखंडन के लिए अपेक्षित न्यूनतम तकनीक पाने के लिए वचनबद्ध होगा;

(घ) अस्तित्व, सुरक्षित और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व रीति में डिपोल्यूटिंग और विखंडन क्रियाकलापों को करने के लिए सक्षम, जनशक्ति और युक्तियुक्त उपस्कर रखेगा;

(ङ) अस्तित्व, रजिस्ट्रीकृत यान स्केपिंग सुविधा के रूप में प्रचालन के प्रारंभ से बारह महीनों के भीतर आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र) या आईएसओ 14001 (पर्यावरणीय प्रमाणत्र) या आईएसओ 45001 (व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा) के अपेक्षित गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध होगा;

(च) अस्तित्व, प्रचालन के प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन के लिए सहमती प्राप्त करने के लिए एक वचनबद्ध रखेगा या उपलब्ध कराएगा;

(छ) अस्तित्व, सभी लागू श्रम संहिताओं और सभी अन्य अधिनियमों या यथालागू नियमों के उपबंधों को पालन करने के लिए वचनबद्ध होगा;

(ज) अस्तित्व, स्वामित्व या विक्रय के करार या कम से कम तीन वर्ष की अवधि के पट्टे के लिए करार के द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ओरेंज श्रेणी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के पर्याप्त उपयोगी क्षेत्र की उपलब्धता का साक्ष उपलब्ध कराएगा;

(झ) अस्तित्व, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र रखेगा;

(ञ) अस्तित्व, अनुमोदित संयंत्र लेआउट और भवन योजना उपलब्ध कराएगा।

**6. रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया,-** (1) कोई आवेदक संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार जहां रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को अवस्थित करने का आशय है, के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को संबोधित करते हुए विहित प्ररूप 1 में आवेदन कर सकेगा जिसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,-

(i) स्थापित किए जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए 1,00,000 / - (एक लाख रू. मात्र) की अप्रतिदाय प्रसंस्करण फीस; और

(ii) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पक्ष में 10,00,000/-(दस लाख रूपए) की बैंक गारन्टी के रूप में अग्रिग धन निक्षेप या आरंभिक रजिस्ट्रीकरण अवधि जमा नब्बे दिन की वैधता के साथ सहविस्तारी, अवधि के लिए गैर ब्याज धारक प्रतिभूति निक्षेप के रूप में।

(2) रजिस्ट्रीकरणकी स्वीकृति के लिए सभी आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आवेदन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे ।

(3) आवेदन, जिन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, को प्ररूप-1ए, के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(4) उन आवेदनकर्ताओं जिनके आवदेन रद्द कर दिए जाते हैं, उन्हें उनका बयाना राशि या बैंक गारंटी वापिस कर दिया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए जिस पर आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक फीस के साथ आवेदन करेगा, एक पोर्टल का विकास करेगी।

(6) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार विभिन्न अभिकरणों (श्रम, प्रदूषण इत्यादि) से आंतरिक अनुमोदन सहित 60 दिनों के भीतर निर्धारित समय में प्रस्ताव को पास करेगी, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने के बाद ही प्रस्ताव को अनुमोदित समझा जाएगा।

(7) ऐसे पोर्टल को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर संचालित किया जाएगा और उस समय तक, जब तक कि यह पोर्टल प्रचालित हो जाता है, इन मामलों में कार्यवाहियों संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा हस्तचालित रूप से की जाएगी ।

(8) उपनियम (5) में संदर्भित पोर्टल के प्रचालन के पश्चात सभी उत्तरवर्ती अनुमोदनों आदि को पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी और रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग यान सुविधा के निरीक्षण और संपरीक्षा संबंधी रिपोर्टें पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(9) ऐसे रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग यान सुविधा की स्थापना या संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और यथा आवश्यक किसी अन्य विभाग द्वारा आवश्यक अनुमोदन केवल इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(10) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार पोर्टल पर नागरिक चार्टर और ऐसे पोर्टलों पर अनुमोदन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया प्रकाशित करेंगे।

(11) यह प्रक्रिया पारदर्शी तथा सुचारु होनी चाहिए और सभी अधिसूचनाएं, मार्गदर्शक सिद्धांत, प्ररूप आदि उपनियम (6) में स्थापित पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे और आवेदन इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे तथा इनका निपटान निर्धारित समय में किया जाएगा ।

**7. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता और नवीनीकरण.--** (1) नियम 6 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसका एक बार 10 वर्षों के लिए और नवीनीकरण किया जाएगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि रजिस्कृत स्क्रैपर नियम 14 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों का व्यतिक्रमी नहीं है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से तीन माह पहले किया जा सकेगा ।

(3) नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररूप-1 में किया जाएगा और आवेदन के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट नवीनीकरण फीस और प्रतिभूति जमा की जाएगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्ररूप-1क के अनुसार जारी किया जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं होगा।

**8. यानों की स्क्रैपिंग के लिए मानदंड.--** निम्नलिखित यानों को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को स्क्रैप करने के लिए पेश किया जा सकता है:

(i) जिन यानों ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 52 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया है।

(ii) जिन यानों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार उपयुक्तता प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।

(iii) यान जो आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रीकृत स्वामी स्वयं उसे स्क्रैप के रूप में प्रमाणित करता है।

(iv) यान, जो सरकार के केंद्रीय या राज्य संगठनों द्वारा अप्रचलित या अधिशेष या आर्थिक मरम्मत से परे घोषित किए गए हैं और स्क्रैपिंग के लिए पेश किए गए हैं।

(v) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा सहित किसी भी एजेंसी द्वारा स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गए यान।

(vi) यान जो विशेष रूप से खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में परियोजनाओं के लिए अपनी उपयोगिता या उपयोजन से अधिक समय तक टिका हुआ हो जैसा कि यान स्वामी द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाए ।

(vii) विनिर्माण के लिए खारिज किए यान, परीक्षण यान, प्रोटोटाइप, यान मूल उपस्कर विनिर्माता से व्यौहारी को परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त यान या अविक्रीत अथवा अरजिस्ट्रीकृत जैसा कि यान मूल उपस्कर विनिर्माता द्वारा सत्यापित किया जाए।

(viii) किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नीलाम किए गए, जब्त किए गए और छोड़ दिए गए यान।

(ix) अन्य कोई यान जो स्वामी द्वारा स्क्रैपिंग के लिए रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को स्वेच्छया प्रस्तावित किया जाए ।

**9. निरीक्षण का अधिकार.--**(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा में यानों के संव्यवहार और स्क्रैप जनन के बारे में अभिलेख और प्राधिकृत रिसाइकलर्स से इसका जिम्मेदार निपटान और रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा परिसर में सभी मशीनरी, उपस्कर और उपकरण तैयार रखना चाहिए।

(2) वास्तविक निरीक्षण और साइट का दौरा नीचे यथा सूचीबद्ध प्रक्रिया के निष्पादन के पश्चात् ही किया जाएगा:-

(i) जब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गैर अनुपालना की रिपोर्ट अथवा रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जन शिकायत प्राप्त की गई है।

(ii) इस तरह की शिकायत को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को सात कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए भेज दिया गया है।

(iii) प्रत्युत्तर की छानबीन की गई है और रजिस्ट्रीकृत स्कैपर को तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।

(iv) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की राय में किया गया प्रत्युत्तर और स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं, और साइट का एक निरीक्षण आवश्यक है।

(3) इस तरह के साइट के दौरे को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(4) निरीक्षण दल की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को मुहैया करायी जाएगी।

(5) इन नियमों के अनुपालन की दशा में रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के बाद रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सुविधा के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या निलंबित करने का मौखिक आदेश पारित कर सकता है।

**10 स्क्रैपिंग प्रक्रिया**:-(1) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर द्वारा सभी एंड टू लाईफ यानों के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यानों की स्क्रैपिंग की जाएगी, अर्थात्:-

(i) रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि यान को प्ररूप-2 के अनुसार आवेदन की दो मूल प्रतियों के साथ रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर या निक्षेप के लिए अभिहित संग्रहण केंद्र को यान सौंपेंगे।

(ii) यदि यान का विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर या उसका अभिहित केंद्र, वाहन डेटाबेस के अनुसार रजिस्ट्रीकृत स्वामी की पहचान का मिलान यान सौंपने वाले व्यक्ति के साथ करेंगे और यान प्राप्त करेंगे तथा वाहन डेटाबेस से जुडे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रसीद जारी करेंगे।

(iii) प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त किये गए यानों को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को सौंपा जाएगा।

(iv) किसी यान की स्क्रैपिंग से पहले रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की ओर से यान स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत किए गए यानों के रिकॉर्ड का सत्यापन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त चोरी किए यानों के डेटाबेस के साथ करना अनिवार्य होगा।

(v) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्ररूप -2 के साथ निम्नलिखित लागू मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

(क) रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र।

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकार।

(ग) उत्तराधिकार के मामले में, उत्तराधिकारी के किसी भी प्रमाण के साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(घ) नीलामी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अपने पक्ष में किसी सार्वजनिक नीलामी में यान की विक्रय की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश।

(ङ) स्वामी या प्रतिनिधि प्ररूप-2 के पैरा 4 के अनुसार से वचनबंध लेना जो यह दर्शाता है कि यान का कोई लंबित आपराधिक रिकॉर्ड या मुकदमा नहीं है और यान पर कोई शोध्य लंबित नहीं है ।

(vi) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर यह सत्यापित करेगा कि अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में भाड़ा क्रय, पट्टे या भाड़ाक्रांति करार का सम्यक रूप से निर्वहन किया गया है और इस प्रभाव का एक बचनबध स्वामी या प्रतिनिधि द्वारा प्ररूप-2 के पैरा 4 में भी दिया जाएगा ।

(vii) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर द्वारा स्वामी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां स्वीकार की जायेगी।

(क) स्वामी के स्थायी खाता संख्या कार्ड की प्रति;

(ख) स्वामी के बैंक खाते का रद्द चेक;

(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) को पहचान का सबूत जैसे पासपोर्ट, मतदाता पत्र, आधार पत्र, चालन अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;

(घ) स्वामी के पते का सबूत जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, लैंड लाइन टेलीफोन का बिल, पाइप्ड कुकिंग गैस का बिल;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर को एंड टू लाईफ यान सौंपने वाले स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि की डिजिटल फोटो या प्ररूप-2 में सम्यक रूप से चिपकाया गया स्वामी या प्रतिनिधि का फोटो और स्वामी या प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो;

(viii) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर विधिवत् प्राप्त किया गया दूसरा प्ररूप-2 स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को लौटा देगा और यान के स्वामित्व के अंतरण के साक्ष्य के रूप में जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ix) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा किसी भी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत यानों को स्वीकार और स्क्रैप कर सकता है।

(x) पूरी प्रक्रिया वाहन के साथ सुचारू रूप से जुड़ी होगी और अखिल भारत के आधार पर किसी भी यान रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना होगी।

(xi) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा अनुरोध को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत करने कीप्रक्रिया और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यान को अरजिस्ट्रीकृत कराने के लिए सड़क परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र (मोहर लगा हुआ या पंच किया हुआ) के पारेषण को सुकर बनाएगा ।

(xii) 'जमा प्रमाणपत्र' स्वामी के लिए एक नया यान खरीदने के लिए समय-समय पर लागू किए गए प्रोत्साहन और फायदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा।

(xiii) 'जमा प्रमाणपत्र' व्यापार करने योग्य होगा और इसका एक बार उपयोग किए जाने के बाद एजेंसी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र धारक को फायदा प्रदान करते हुए इसे स्थगित किया जाएगा।

(xiv) निक्षेप के प्रमाण पत्र को अधिकरण या व्यौहारी द्वारा "रद्द किया गया" के रूप में स्टांपित किया जाएगा और उसे वाहन डेटा बेस में इस रूप में अंकित किया जाएगा ।

(xv) निक्षेप प्रमाण पत्र के विरुद्ध खरीदे गए नए यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय निक्षेप प्रमाण पत्र को सत्यापित और अधिप्रमाणित कर सकेगा ।

(xvi) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर यान के लिए सहमत राशि का डिजिटल तरीके से या आदाता खाता चेक से भुगतान करेगा और रिकॉर्ड के लिए स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से उसकी एक रसीद प्राप्त करेगा।

(xvii) नियम 11 के अधीन जारी किए यान स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख के छह मास की अवधि के लिए चेसिस सं॰ के कटे हुए टुकड़े को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की जिम्मेवारी रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर की होगी ।

(xviii) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर रिकार्ड और निरीक्षण के दौरान जांच के लिए सभी दस्तावेजों की वास्तविक प्रति बनाए रखेगा और उन दस्तावेजों की स्कैन की हुई डिजिटल प्रति दस वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखी जाएगी ।

(xix) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर यह सुनिश्चित करेगा कि क्रियाशील यान समापन का पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों और एआईएस-129 के अनुसार स्क्रैप किए गए यानों के परिसंकटमय पुर्जों निवारण, पुन:चक्रण या निपटान किया गया है ।

(xx) यानों का तब तक स्क्रैप नहीं किया जाएगा जब तक ईंधन, तेल, एंटीफ्रीज और अन्य गैसों, तरल पदार्थों आदि को निकाल न लिया जाए और उन्हें प्रमाणित मानक आधानों में एकत्रित न कर लिया जाए ।

(xxi) स्क्रैप किए गए यानों का एक डिजिटल रजिस्टर, प्ररुप 3 में अनुरक्षित किया जाएगा ।

**11. स्क्रैपिंग यान का प्रमाण पत्र जारी करना**–(1) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर, आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात्, स्क्रैपिंग यान का एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके अंतर्गत प्ररुप-4 में चेसिस के कट आउट का एक डिजिटल फोटो, राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहन डेटाबेस को अद्यतन करने और राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु संसूचित करने के लिए भी है ।

(2) स्क्रैप किए हुए यानों का पृथक रिकार्ड केंद्रीय सरकार द्वारा वाहन डेटाबेस पर अनुरक्षित किया जाएगा ।

**12. सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन** – (1) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर, स्क्रैपिंग यार्ड, ग्राहक और यान स्वागत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन करेगा और स्क्रैपिंग का रिकार्ड तीन कलैंडर मासों की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर के आईटी सिस्टम पर सुरक्षित रखा जाएगा ।

(2) सुविधा में संस्थापित सीसीटीवी कैमरों की पहुंच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा यथा अपेक्षित प्राधिकृत अभिकरणों को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

**13. स्क्रैपिंग यार्ड और संग्रहण केंद्र**–(1) स्क्रैपिंग यार्ड ऐसे उचित क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिसमें सुविधा द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले स्क्रैप के बड़े आकार और प्रकृति के अनुरूप यानीय आवागमन, यानों या प्राप्त मदों और पुनचक्रणयोग्य प्राप्त सामग्री के भंडारण के लिए स्थान हो ।

(2) स्क्रैपिंग यार्ड, क्रियाशील यान समापन, धवल माल और अन्य स्क्रैप का प्रबंधन करने, प्रदूषण निवारण और विघटन करने के लिए दरवाजा लगा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें विकिरण को मापने के लिए सुविधा भी हो जैसा स्क्रैप के आयात के लिए अनुपालन किया जाता है ।

(3) सामग्री प्रबंधन करने वाली मशीनों का मानवीय हस्तक्षेप कम करने और सुरक्षित कार्य स्थल बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(4) सभी स्क्रैपिंग यार्ड, क्रियाशील यान समापन, माल और अन्य स्क्रैपों की प्रक्रिया में सक्षम और प्रशिक्षित जनशक्ति लगायेंगे ।

(5) स्क्रैपिंग यार्ड में शुष्क क्षेत्र (जल भराव से मुक्त), अभेद्य सतह जैसे डामर या ठोस फर्श, डामर या कंक्रीट सड़क, सुरक्षित कार्यस्थल के रखरखाव को बनाए रखने के लिए आंतरिक रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्यशाला सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए अन्य सभी अपेक्षित उपाय हों।

(6) स्क्रैपिंग यार्ड, प्रदूषण निवारक संयंत्र से सुसज्जित होगा, अधिमानतः शून्य निस्सारण संयंत्र और विघटन कार्य, क्रियाशील यान समापन, मालों और अन्य स्क्रैपों का प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा किया जाएगा।

(7) स्क्रैपिंग यार्ड,सुसंगत स्वास्थ्य और सुरक्षा विधान या विनियम और पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करेगा।

(8) स्क्रैपिंग यार्ड में निम्नलिखित होगा –

(क) गैर-पारगम्य डामर या कंक्रीट या इपॉक्सी लेपित फर्श, पर्याप्त जल निकासी की सुविधा के साथ, पर अपशिष्ट यानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त अभिनिश्चित क्षेत्र और यहां तक कि आवेदनों के जमा करने की प्रक्रिया के दौरान भी कोई अपशिष्ट या संभावित अपशिष्ट यान सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं किया जाएगा, और केवल रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग यान सुविधा के परिसरों के भीतर ही समायोजित किया जाएगा ।

(ख) ईंधन या तरल पदार्थ या गैसों और तरल पदार्थों की निकासी के दौरान प्रदूषकों का शून्य रिसाव सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणित प्रदूषण निवारक उपस्कर, सुरक्षा निराकरण या एयरबैग को हटाने, प्री- टेंशनर आदि के लिए प्रमाणित जोखिम निवारक उपस्कर, परिभाषित गतिविधियों (जैसे जोखिम निवारण, प्रदूषण निवारण, विघटन, छोटे छोटे टुकड़े करना, कर्तन, बेलिंग आदि) के लिए उपयुक्त विघटन करने वाले उपस्कर, अलग किए हुए स्क्रैप के भंडारण के लिए अभिहित क्षेत्र, अलग किए हुए पुर्जो का प्रबंधन और भंडारण करने के लिए पर्याप्त स्थान, ऑटोमोटिव परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे टायरों, बैटरियों, ईंधन, तेलों, तरल पदार्थों और गैसों के अस्थायी भंडारण के लिए अभिहित स्थान, उपयुक्त सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपस्कर, पुर्जों, आदि के सुरक्षित परिवहन के लिए सामग्री प्रबंधन करने वाले उपस्कर ।

(ग) उपयुक्त औद्योगिक श्रेणी प्रकाशन और संवातन संयंत्र, ध्वनि प्रदूषण मानदंडों की अनुरूपता और उपयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र या जल पुनर्चक्रण संयंत्र।

(9) स्क्रैपिंग यार्ड, संचालन प्रारम्भ होने के बारह मास के भीतर गुणवत्ता मानकों अर्थात आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा) के नवीनतम संस्करणों के साथ वे स्वयं का प्रत्यायन कराएंगे ।

(10) यदि स्क्रैपिंग यार्ड में परिसंकटमय अपशिष्ट (जैसे ई-अपशिष्ट, सीसा अम्ल बैटरी, लिथियम आयन घटक, या दुर्लभ भू-धातुओं की प्राप्ति, आदि) के पुनर्चक्रण के लिए या ऐसी स्क्रैप सामग्री के पुनर्चक्रण, जो इसकी परिधि से परे है, के लिए पर्याप्त क्षमता या उपबंध नहीं हैं , तो ऐसी सामग्रियों को सम्यक रूप से प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या एजेंसियों को विक्रय किया जाएगा, जिनके पास पर्याप्त क्षमता और अनुज्ञप्ति है।

(11) संव्यवहारों का एक रिकॉर्ड, स्पष्ट रूप से ऑफ-लोडेड वॉल्यूम और प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या एजेंसी का नाम, प्राधिकरण संख्या, स्थायी खाता संख्यांक, माल और सेवा कर और अन्य व्यावसायिक ब्यौरे देते हुए रखा जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड आवधिक लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

(12) किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा स्क्रैपिंग यार्ड से भिन्न किसी अन्य स्थान पर संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे, यदि संग्रहण केंद्र ऐसे क्रियाकलाप जैसे प्रदूषण निवारण और विघटन करता है तो स्क्रैपिंग यार्ड को लागू अपेक्षाएं ऐसे संग्रहण केंद्र को भी लागू होंगी।

**14. लेखा परीक्षा और प्रमाणन –** (1) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा का इन नियमों की अनुपालना के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की ओर से केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई अभिकरण या उसी सूची में कोई अभिकरण निम्नलिखित कार्य कर सकेगा, -

(क) नियामक और अनुपालन लेखा संपरीक्षा; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग यान सुविधा द्वारा प्ररुप 3 में यथा अनुरक्षित मास फ्लो विवरण की संपरीक्षा ।

(3) संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा को उनके प्रदर्शन के निबंधन अनुसार और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुपालन, विनियामक, कारबार, पर्यावरण और श्रम मानकों की अनुपालना तथा रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर द्वारा प्राप्त हुई प्ररूप 3 में अभिलिखित संबंधित पुनर्चक्रण दरों, मास फ्लो की जानकारी के आधार पर श्रेणी देगी और मूल्यांकन करेगी।

(4) ऐसी लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर द्वारा किसी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए वार्षिक रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और उस वित्तीय वर्ष के 31 मई (वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो मास के भीतर) तक प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) लेखा संपरीक्षा में रिपोर्ट किए गए गैर अनुपालन बाबत संप्रेक्षणों को लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट के जारी होने के दो मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर द्वारा सुलझा लिया जाएगा जिसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिकतम एक मास तक बढ़ाया जा सकेगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर यह सुनिश्चित करेगा कि आईएसओ प्रमाणन उनकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व पुन: विधिमान्य किए हैं।

**15. अपील**–(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील, एक सादे आवेदन प्रारूप में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के आक्षेपों के आधारों को बताते हुए की जाएगी और उसके साथ उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रमाणित प्रति और 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) की फीस संलग्न की जाएगी ।

(3) अपीलीय प्राधिकरण, अपील की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

**प्ररूप-1**

**[खंड 6(1) देखें]**

## रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन

| **निम्न के लिए आवेदन** | **कृपया लागू होने पर टिक करें** |
|---|---|
| एक नए आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण | |
| विद्यमान आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण | |
| विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में संशोधन | |

1. **<u>कार्यालय उपयोग के लिए</u>**

| | |
|---|---|
| आवेदन संख्या | |
| आवेदन तारीख | |
| तारीख | |
| शुल्क | |
| सुरक्षा जमा | |

2. **<u>साधारण जानकारी</u>**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | नाम | | | | | | | | |
| ii | पता | | | | | | | | |
| iii | टेलीफोन | | | | | | | | |
| iv | फैक्स | | | | | | | | |
| v | ई-मेल | | | | | | | | |
| vi | सीआईएन | | | | | | | | |
| vii | पैन सं. | | | | | | | | |
| vii | जीएसटी | | | | | | | | |
| viii | स्थिति | कंपनी | फर्म | ट्रस्ट | समाज | स्वामि | सरकारी | जेवी | पीपीपी |
| x | संलग्नक | एमओए | | | | | एओए | | |
| xi | कंपनी की विद्यमान क्रियाकलाप (राष्टीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड) | | | | | | | | |

3. **<u>संयंत्र विवरण</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क | स्थान (मानचित्र प्रदान करें) | | | |
| ख | क्षेत्र (वर्ग मीटर) | | | |
| ग | अधिकृत क्षेत्र का विवरण | स्वामित्व | पट्टा/अवधि | वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| घ | राज्य | |
| ङ | जिला | |
| च | औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. कंपनी की प्रस्तावित क्रियाकलाप** | एल वाहन | हाँ | नहीं | क्षमता | | अदद |
| | एम वाहन | हाँ | नहीं | क्षमता | | अदद |
| | एन वाहन | हाँ | नहीं | क्षमता | | अदद |
| | अन्य | हाँ | नहीं | क्षमता | | अदद |
| **5. प्रस्तावित पूंजी संरचना (लाख रुपये)** | प्राधिकृत | | | | | |
| | सदस्यता | | | | | |
| | प्रदत्त | | | | | |
| **6. कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या** | | | | | | |

**7. स्थान की उपलब्धता**

| | | |
|---|---|---|
| क | निम्नलिखित स्थानों और क्षेत्रों (वर्गमीटर)प्रदर्शित करते हुए संयंत्र डिजाइन और ले आउट: - | |
| ख | अपशिष्ट वाहनों (वर्गमीटर) की सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र | |
| ग | अलग किए गए स्क्रैप (वर्गमीटर) के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र | |
| घ | स्क्रैप और अपशिष्ट उत्पादों (वर्गमीटर) के लिए निर्धारित स्थान | |
| ङ | स्वचालित ऑटोमोटिव हानिकारक कचरे (वर्गमीटर) के अस्थायी भंडारण क्षेत्र के लिए निर्धारित स्थान | |
| च | पुर्जों,स्क्रैप और अपशिष्ट उत्पादों (वर्गमीटर) के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग स्थान का उपबंध | |

**8. उपकरणों की उपलब्धता**

| | | | |
|---|---|---|---|
| क | प्रमाणित अ-प्रदूषणकारी उपकरण | हाँ | नहीं |
| ख | प्रमाणित खतरा विहीन उपकरण | हाँ | नहीं |
| ग | सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण | हाँ | नहीं |
| 10 | वाहन डाटा बेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए आईटी प्रणाली के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र | हाँ | नहीं |

**11. पर्यावरणीय मंजूरी**

| | | |
|---|---|---|
| क | स्थापित करने के लिए सहमति | |

| | | |
|---|---|---|
| ख | संचालित करने के लिए सहमति | |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | वाहन डाटाबेस के लिए आवेदन संख्या | |

**13. उपक्रम**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **आवेदक वचन देता है कि** | | | |
| क | कचरा वाहन के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा | | हाँ | नहीं |
| ख | रजिस्ट्रीकरण जारी होने के 12 महीने के भीतर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करें | | | |
| | i | आईएसओ 9001 | हाँ | नहीं |
| | ii | आईएसओ 14001 | हाँ | नहीं |
| | iii | आईएसओ 45001 | हाँ | नहीं |
| ग | खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (2016) का पालन करेगा | | | |

**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :**

**कंपनी की मुहर**

**तारीख :**

**प्ररूप-1क**

**[खंड 6(3) और 7(4) देखें]**

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ)**

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने का अनुमोदन कर दिया है:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आवेदक | | | | | | |
| 2. | स्थान | | | | | | |
| 3. | आवेदन संख्या | | | | | | |
| 4. | आवेदन तिथि | | | | | | |
| 5. | अनुमोदन | हाँ | | नहीं | | पुन:प्रस्तुत करना | |
| 6. | प्रवर्ग | एल वाहन | हाँ | नहीं | वार्षिक क्षमता | | संख्या |
| | | एम वाहन | हाँ | नहीं | वार्षिक क्षमता | | संख्या |
| | | एन वाहन | हाँ | नहीं | वार्षिक क्षमता | | संख्या |
| | | अन्य | हाँ | नहीं | वार्षिक क्षमता | | संख्या |
| 7. | रजिस्ट्रीकरण संख्या | | | | | | |
| 8. | वैधता | से | तक | | | | |
| 9. | प्रक्रियात्मक शुल्क | रकम | | | | | |
| 10. | सुरक्षा जमा राशि | रकम | | | | | |
| 11. | बैंक गारंटी | रकम | | तारीख | | वैधता | |
| 12. | शर्तें | | | | | | |
| | क | रजिस्ट्रीकरण गैर-हस्तांतरणीय है | | | | | |
| | ख | उपक्रम का परिसमापन किया जाना है | | तारीख | | | |
| | ग | स्व-प्रमाणन अनुपालन प्रस्तुत करें | | तारीख | | | |
| | घ | सम्यक सुविधा निरीक्षण | | तारीख | | | |
| | ङ | सम्यक पहला ऑडिट परीक्षण | | तारीख | | | |

**टिप्पण :** रजिस्ट्रीकरण अहस्तांतरणीय है

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण

मुहर

तारीख

**प्ररुप - 2**

[*नियम 10(2)देखें*]

**स्क्रैपिंग और यान जमा राशि के प्रमाणन के लिए साम्मिश्र आवेदन**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **स्वामी के ब्यौरे** | | | | | |
| | क | नाम | | | | |
| | ख | पता | | | | |
| | ग | मोबाइल सं. | | | | |
| | घ | ईमेल | | | | |
| | ड. | पेन | | | | |
| | च | बैंक खाता | | | | |
| | | i | बैंक का नाम | | | |
| | | ii | शाखा | | | |
| | | iii | खाता संख्या | | | |
| | | iv | आईएफएससी | | | |
| | | v | रद्द चेक | | | |
| | | vi | प्राप्त किया गया प्रतिफल (रु.) | | | |
| | | vii | चालान सं. और तारीख | | | |
| | छ | फोटोग्राफ | | संलग्न | | |
| | | | | | | |
| 2 | **यान के ब्यौरे** | | | | | |
| | रजिस्ट्रीकरण संख्या | | | | | |
| | मेक | | | | | |
| | मॉडल | | | | | |
| | चेसिस संख्या | | | | | |
| | इंजन नं | | | | | |
| | विनिर्माण का महीना/वर्ष | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | **दस्तावेज** | | | | | |
| | क | रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र। | | | | |
| | ख | फिटनेस प्रमाणपत्र की प्रति, जिसके यदि लागू होगे के बाद यान को अनफिट घोषित कर दिया गया हो। | | | | |
| | ग | रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकार | | | | |
| | घ | उत्तराधिकार के मामले में, रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण के | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | साथ | |
| | ड. | सार्वजनिक नीलामी में यान की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश | |
| | | | |
| 4 | आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण | | |

मैं/ हम, ....................................................निवासी ......................... ............................ घोषणा करते हैं कि इस प्ररुप में मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी विशिष्टियां सत्य और सही हैं; उक्त यान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह बोध है कि मैं /हम उपरोक्त झूठी घोषणा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उक्त यान पर कोई लंबित बकाया नहीं है; उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भाड़ाक्रय, पट्टा या आडमान करार सम्यक् रूप से निर्वहन किया गया है और इस तारीख के पूर्व लंबित ऐसे किन्हीं बकायों और प्रभारों के लिए मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा मैं/हम ऐसे सभी प्रभारों से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैप प्रसुविधा को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करते हैं।

| | |
|---|---|
| तारीख: | हस्ताक्षर: |
| स्थान: | |

| | |
|---|---|
| 5 | जमा का प्रमाणपत्र |
| | 1. हम प्रमाणित करते हैं कि यानों के निपटान के लिए इन नियमों के अनुसार उपचार हेतु यान रजिस्ट्रीकरण सं. ............ मेक .......... मॉडल ........ यान प्रवर्ग ......... हमारे आवक सं. ....... तारीख ......... द्वारा स्वीकार किया गया तथा भुगतान वाउचर सं. ....... तारीख .......... द्वारा स्वामी को रुपये......... का सहमत प्रतिफल भुगतान किया गया है।<br>2. और, प्रमाणित किया जाता है, कि उपचार के पूरा होने पर राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहनडेटाबेस और सक्षम प्राधिकारी को अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सूचित किया जाएगा। |
| | |

| | |
|---|---|
| तारीख: | हस्ताक्षर: |
| स्थान: | टिकट: |
| | आरवीएसएफ सं. |
| | वैधता |

कंपनी लेटर हेड पर

आरवीएसएफ सं............................ वैधता....................

**प्ररुप- 3**

[*नियम 10 (xxi),नियम 14(2)तथा नियम 14(3) निर्दिष्ट करें*]

**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **नाम** | | | | |
| | **रजिस्ट्रीकरण संख्या** | | | | |
| | **वैधता** | | | | |
| 2 | **क्षमता उपयोगिता (अदद)** | | | | |
| | **क** | **अरजिस्ट्रीकरण** | पूरी की गई (1) | प्रक्रिया (2) में | कुल (1 + 2) |
| | I | एल वीईएचएस | | | |
| | ii | एम वीईएचएस | | | |
| | iii | एन वीईएचएस | | | |
| | iv | अन्य | | | |
| | v | कुल (ए) | | | |
| | | | | | |
| | **ख** | **उपचार** | प्राधिकृत (1) | उपयोगकृत(2) | % उपयोगीकरण (1 / 2 * 100) |
| | I | एल वीईएचएस | | | |
| | ii | एम वीईएचएस | | | |
| | iii | एन वीईएचएस | | | |
| | iv | अन्य | | | |
| | v | कुल (बी) | | | |
| | | | | | |
| **3** | **जन प्रवाह** | | | | केजीएस |
| | क | अंदर की ओर | | | |
| | I | एल वीईएचएस | | | |
| | ii | एम वीईएचएस | | | |
| | iii | एन वीईएचएस | | | |
| | iv | अन्य | | | |
| | v | कुलयोग ( i + ii + iii + iv = ए) | | | |
| | | | | | |
| | **ख** | **बाहर की ओर** | | | |
| | I | लौह | | | |
| | ii | अल्युमीनियम | | | |
| | iii | तांबा | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | iv | प्लास्टिक | |
| | v | कांच | |
| | Vi | टायर्स | |
| | Vii | बहुमूल्य धातुऐं (पैलेडियम, रोडियम, स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम आदि | |
| | Viii | अन्य | |
| | ix | उप-कुल (i) | |
| | **ग** | **पुनःप्रक्रिया के लिए खतरनाक अपशिष्ट** | |
| | I | ईंधन | |
| | ii | तेल | |
| | iii | गैसों | |
| | iv | बैटरियां | |
| | v | तरल पदार्थ | |
| | Vi | उप-कुल (ii) | |
| | | | |
| | घ | लैंडफिल्ड के लिए खतरनाक अपशिष्ट | |
| | I | रखे गए अवशेष | |
| | ii | लैंडफिल | |
| | iii | कुल (iii) | |
| | | | |
| | ड. | कुल योग ( i + ii + iii = बी) | |
| | च | व्यापक बकाया (ए-बी) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **गुणवत्ता प्रमाणन प्रास्थिति** | | वैधता | टिप्पणियां |
| | क | आईएसओ 9001 | | |
| | ख | आईएसओ 14001 | | |
| | ग | आईएसओ 45001 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **लेखा परीक्षा** | | | | |
| | क | अभिकरण | | | |
| | ख | तारीख | | | |
| | ग | परिणाम | उत्तीर्ण करना | असफल | पुन:प्रस्तुत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **सुरक्षा** | | अदद | टिप्पणियों |
| | क | दुर्घटनाएं | | |
| | ख | घटनाए | | |
| | | | | |

7. I……………………………………………………………पदनाम……………………………………
यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत किया गया डेटा वित्तीय वर्ष 20-20 के लिए कंपनी की गतिविधियों का सही और सटीक प्रतिबिंब है।

हस्ताक्षर

स्थान

**कंपनी का मोहर**
**तारीख**

**प्ररुप-4**

[*नियम 11 (1) देखें*]

**यान स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **प्रमाणपत्र संख्या :** | | | |
| 2 | **तारीख:** | | | |
| | | | | |
| 3 | यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएमवीआर के उपाबंध-। के अनुसार हमारे उपचाराधीन प्रमाण पत्र के जमा संख्या.........तारीख.............द्वारा रखे गए यान का अंतिम निपटान किया जाता है। | | | |
| | | | | |
| 4 | **यान के ब्यौरे** | | | |
| | क | रजिस्ट्रीकरण संख्या | | |
| | ख | मेक | | |
| | ग | मोडल | | |
| | घ | निर्माण का महीना / वर्ष | मास | वर्ष |
| | ड. | चेसिस संख्या | इसकी संख्या दर्शित करने वाले कटआउट पीस का चित्र | |
| | च | इंजन संख्या | इसकी संख्या दर्शित करने वाले इंजन का चित्र | |
| 5 | **स्वामी के ब्यौरे** | | | |
| | क | नाम | | |
| | ख | आईडी प्रमाण ब्यौरे | | |
| | ग | पता | | |
| | घ | प्रस्तुत पता प्रमाण ब्यौरे | | |
| | | | | |
| 6 | **पूर्वगामी के अवलोकन में यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त यान के संबंध में अभिलेख अद्यतन किया जा सकता है।** | | | |

**तारीख:**

**स्थान :**

**कंपनी का मोहर**
**तारीख**

**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

[फा. सं. आरटी-23013/1/2018-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

**G.S.R. 653(E).—**Whereas, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 190 (E), dated the 15th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 16th March, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force with effect from 25th September, 2021.

2. **Application.-** These rules shall apply to;-

   (a) all categories of vehicles and their last registered owners, automobile collection centres, automotive dismantling, scrapping and recycling facilities and recyclers of all types of automotive waste products;

   (b) the guidelines for Environmentally Sound Management of End-of-life vehicles (ELVs) and Automotive Industry Standard (AIS) 129.

3. **Definitions -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

   (b) "Appellate Authority" means any officer above the rank of Registration Authority as nominated by the State or Union territory Government to whom appeal against the action of Registration Authority taken as pre sub-rule (5) of rule (9) can be referred under rule (15);

   (c) "Certificate of Deposit" means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the transfer of ownership of the vehicle from the registered owner to the Registered Scrapper for further treatment;

   (d) "Certificate of Vehicle Scrapping" means the certificate issued by a Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the final disposal of a vehicle;

   (e) "Collection Centre" means a facility or an area that may be used for the sole purpose of collecting and storing the End of Life Vehicles and sending it for further processing at the Scrapping Yard;

   (f) "End-of-Life Vehicles" means all vehicles which are no longer validly registered or declared unfit through Automated Fitness Centres or their registrations have been cancelled under Chapter IV of the Act or due to an order of a Court of Law or are self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances as specified in these rules;

   (g) "Final Disposal" means the treatment of the vehicle so that the vehicle is no longer capable of being used as such, the evidence for which is the cut out of the Chassis and the disposal of its engine;

   (h) "Recycling" means the reclamation and processing of waste in an environmentally sound manner for the original purpose or other;

(i) "Registered owner of an End of Life Vehicle" means, -

(i) owner of the vehicle as defined in clause (30) of section 2 of the Act; or

(ii) person who has gained ownership of the vehicle in a public auction in accordance with rule 57 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(j) "Registered Scrapper" means a person, firm, society, trust or company owning and operating a Registered Vehicle Scrapping Facility;

(k) "Registered Vehicle Scrapping Facility" means any establishment which holds a Registration for Vehicle Scrapping issued under these rules for carrying out dismantling and scrapping operations;

(l) "Registration Authority" means the officer not below the rank of the Commissioner (Transport) as designated by the Government of the State or Union territory for this purpose;

(m) "Scrapping" means the entire process from receipt and record of the 'End-of-Life Vehicles' including depolluting, dismantling, segregation of material, safe disposal of non-reusable parts, and issuance of Certificate of Vehicle Scrapping to the registered owner of a motor vehicle;

(n) "Scrapping Yard" means the designated location within the premises of the Registered Vehicle Scrapping Facility where the End-of-life Vehicles are processed for further treatment including recycling;

(o) "Treatment" means any activity after the end of life vehicle has been handed over to a collection centre of a Registered Vehicle Scrapping Facility for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder wastes, and any other operation carried out for the recovery or disposal of the end of life vehicle and its components; and

(p) "Vehicle" means a motor vehicle or vehicle as defined in clause (28) of section 2 of the Act.

(2) Words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Powers and duties of Registered Vehicle Scrapping Facility.-** (1) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided connectivity and access to the VAHAN database of vehicle registration with password protected user ID and shall be authorised to make suitable entries regarding scrapping of the vehicle and issuance of Certificate of Deposit and Certificate of Scrapping, either directly or through their collection centre.

(2) The Registered Vehicle Scrapping Facility must have necessary cyber security certifications for the IT Systems for safe access to the VAHAN database.

(3) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided the necessary connectivity to verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles, held by National Crime Records Bureau as well as with the local Police and it shall be duty of the Registered Vehicle Scrapping Facility to carry out such verification before scrapping a vehicle.

(4) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall undertake verification of the persons handing over the vehicle for scrapping to determine the bonafide of the vehicle owner or his authorised representative and retain a copy of the same for record for a minimum period of six months.

(5) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be recognised as Facilitation Centre as per clause (cd) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for Registered Vehicle Scrapping Facility purpose only.

5. **Conditions of eligibility for Registered Vehicle Scrapping Facility.-** The State Government or Union territory Government when granting authorisation to any Registered Vehicle Scrapping Facility under rule 6 shall take into account the following eligibility criteria, namely:-

(a) The Registered Vehicle Scrapping Facility may be owned and operated by any legal entity, be it a person, firm, society, Company or trust established in accordance with law having the following documents, -

(i) Certificate of Incorporation or Shop Act Registration or Udyam Aadhar;

(ii) Valid Goods and Services Tax registration; and

(iii) Valid Permanent Account Number

(b) The entity shall have applied for or having an approval for consent to establish from the Registering authority of the State or Union territory Government in which the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located.

(c) The entity shall undertake to meet the minimum technical requirement for collection and dismantling centres as per Central Pollution Control Board Guidelines.

(d) The entity shall have competent manpower and appropriate equipment to carry out the depollution and dismantling activities in a safe and environmentally responsible manner.

(e) The entity shall undertake to obtain the required quality certifications of ISO 9001(quality management system) or ISO 14001(environmental certification) or ISO 45001 (occupational health and safety) within twelve months of commencement of operations as a Registered Vehicle Scrapping Facility.

(f) The entity shall possess or provide an undertaking to obtain a consent to operate from State Pollution Control Board within a period of six months from commencement of operations.

(g) The entity shall undertake to abide by the provisions of all applicable Labour codes and all other Acts or Rules as applicable.

(h) The entity shall provide evidence of availability of an adequate useable area of land in the orange category industrial zone of the State or Union territory by way of ownership or agreement to sell or agreement for lease of a minimum period of three years.

(i) The entity shall have necessary cyber security certifications specified under sub-rule (2) of rule 4.

(ii) The entity shall provide approved plant layout and the building plan.

**6. Registration procedure for Registered Vehicle Scrapping Facility. -** (1) An applicant may make an application in the prescribed Form-1, addressed to the Registration Authority of the concerned State Government or Union territory Government where the Registered Vehicle Scrapping Facility is intended to be located along with,-

(i) a non-refundable processing fee of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) for each Registered Vehicle Scrapping Facility proposed to be established; and

(ii) an earnest money deposit by way of a bank guarantee of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) for each Registered Vehicle Scrapping Facility proposed to be established, in favour of the Registration Authority or as a non-interest-bearing security deposit for a period, co-terminus with the validity of the initial registration period, plus ninety days.

(2) All applications for grant of registration shall be disposed of by the Registration Authority within a period of sixty days from the date of application.

(3) All accepted applications shall be issued a registration certificate in Form-1A**.**

(4) Applicants whose applications are rejected shall be refunded their earnest money or bank guarantee;

(5) The Central Government shall develop a portal for Single Window Clearance on which the applicant will apply with all necessary documents and required fee for registration.

(6) State Government or Union territory Government shall clear the proposal in time bound manner within sixty days including the internal approval from various State agencies (Labour, Pollution etc.) after submitting such application else the proposal would be deemed approved.

(7) Such portal shall be operationalised within six months from the date of notification of these rules and till such time as this portal is operationalised, processing of these cases shall be done manually by respective State Governments or Union territory Governments.

(8) After the operationalisation of the portal referred to in sub-rule (5), all subsequent approvals etc. shall be granted through the portal and reports regarding the inspection and audit of Registered Vehicle Scrapping Facility should be made available on the portal.

(9) The necessary approvals by the State Pollution Control Board, Labour Department and any other department deemed necessary for the establishing or operation of such Registered Vehicle Scrapping Facility shall be provided through that portal only.

(10) The State Government or Union territory Government shall publish a Citizen's Charter on the portal and the procedure for grant of approvals on such portal.

(11) The process shall be transparent and seamless and all the notifications, guidelines, forms, etc. shall be made available on the portal established in sub-rule (5), and the applications shall be made electronically and disposed-off in time-bound manner.

**7. Validity and renewal of registration.-** (1) The registration issued under rule 6 shall be valid for an initial period of ten years, which shall be renewable for another ten years at a time, subject to the condition that the Registered Scrapper has not been in default of the provisions as specified in rule 14.

(2) An application for renewal of registration may be made three months before expiry of such registration.

(3) Application for renewal shall be in Form-1 and shall carry such renewal fee and security deposit as may be specified by the State or Union territory Government for this purpose.

(4) The renewal of registration shall be issued as per Form-1A.

(5) The registration issued under this rule shall not be transferable.

**8. Criteria for scrapping of vehicles.-** The following vehicles may be offered for scrapping to the Registered Scrapper,-

(i) Vehicles which have not renewed their Certificate of Registration in accordance with rule 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(ii) Vehicles which have not been granted a certificate of fitness in accordance with rule 62 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(iii) Vehicles which have been damaged due to fire, riot, natural disaster, accident or any calamity, following which the registered owner self certifies the same as scrap.

(iv) Vehicles which have been declared obsolete or surplus or beyond economic repair by the Central or State Organisations of the Government and have been offered for scrapping.

(v) Vehicles bought by any agency including Registered Vehicle Scrapping Facility in an auction for scrapping the vehicles.

(vi) Vehicles which have outlived their utility or application particularly for projects in mining, highways, power, farms etc. as may be self-certified by the owner.

(vii) Manufacturing rejects, test vehicles, prototype, vehicles damaged during transportation from vehicle Original equipment manufacturer to dealers or Unsold or unregistered vehicles as may be certified by the vehicle original equipment manufacturer.

(viii) Auctioned, impounded or abandoned vehicles by any enforcement agency.

(ix) Any other vehicle voluntarily offered to a Registered Vehicle Scrapping Facility for scrapping, by the owner.

**9. Right to inspection.-** (1) The Registered Scrapper shall maintain in the Registered Vehicle Scrapping Facility, the records regarding the transaction of vehicles and scrap generation and its responsible disposal to authorised recyclers, and all the machinery, equipment and apparatus in the Registered Vehicle Scrapping Facility premises, ready for inspection by the Registration Authority or Designated Officer of the State Government or Union territory Government.

(2) Physical inspection and site visits may be carried out after execution of process as listed below,-

(i) when a report of non-compliance by the appropriate authority or a public complaint has been received by the Registration Authority in respect of the Registered Scrapper;

(ii) such complaint has been forwarded to the Registered Scrapper to file a written response within seven working days;

(iii) the response has been scrutinised and an opportunity has been provided to the Registered Scrapper to provide further clarifications within three working days.

(iv) the response and clarifications provided are inadequate in the opinion of the Registration Authority, and a site visit is warranted.

(3) Such site visit shall be duly authorized by the Registration Authority.

(4) The report of the inspection team shall be submitted to the Registration Authority and a copy of the same shall be provided to the Registered Scrapper.

(5) In case of non-compliance of these rules the Registration Authority may after providing an opportunity to the Registered Scrapper of being heard, pass a speaking order to cancel or suspend the registration for the facility.

**10. Scrapping Procedure.-** (1) The scrapping of vehicles shall be carried out by a Registered Scrapper in respect of all End-of-Life Vehicles, by the following procedure, namely:-

(i) the registered owner or the authorised representative shall hand over the vehicle together with an application as per Form-2 in two originals to the Registered Scrapper or the designated Collection Centre for deposit and further treatment of the vehicle.

(ii) if the vehicle does not have a valid registration, then the Registered Scrapper or its designated centre shall match the identity of the registered owner as per the VAHAN database with the person handing over the vehicle and receive the vehicle and issue a receipt through digital platform linked to VAHAN database.

(iii) vehicles impounded by an enforcement agency shall be handed over to the Registered Scrapper.

(iv) the Registered Vehicle Scrapping Facility shall verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles held by National Crime Records Bureau as well as with the local Police before scrapping a vehicle.

(v) the Registered Scrapper shall require, along with the Form-2, the following applicable original documents from the owner or the authorised representative, -

(a) original Certificate of Registration;

(b) authorisation from the registered owner;

(c) in case of inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession;

(d) certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction in his favour duly signed by the person authorised to conduct the auction; and

(e) an undertaking, as per para 4 of Form-2 from the owner or representative, indicating that vehicle has no pending criminal record or litigation and there are no pending dues on the vehicle.

(vi) the Registered Scrapper shall verify that the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (2) of section 51 of the Act has been duly discharged and an undertaking to this effect shall also be given by the owner or representative in para 4 of Form-2.

(vii) The Registered Scrapper shall accept self-certified copies from the owner or through authorised representative of the following documents,-

(a) copy of the Permanent Account Number card of the owner;

(b) cancelled cheque of the bank account of the owner;

(c) identity Proof of the authorised representative (if applicable) such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or photo identity card issued by the State Government or the Central Government;

(d) address proof of the owner such as electricity bill, water bill, land line telephone bill or piped cooking gas bill etc; and

(e) digital photograph of the owner or authorised representative physically handing over the End-of-Life Vehicle to the Registered Scrapper, or a photograph of the owner or representative duly pasted in Form-2 and countersigned by the owner or representative.

(viii) The Registered Scrapper shall return the second Form-2**,** duly receipted, to the owner or his authorised representative and deface or punch the Registration Certificate in the presence of the owner or his authorised representative and issue the Certificate of Deposit as evidence of transfer of ownership of the vehicle.

(ix) The Registered Vehicle Scrapping Facility established in a State may accept and scrap the vehicles registered in any of the State or Union Territory under the jurisdiction of any Registration Authority.

(x) The whole process shall be smoothly linked with VAHAN and on pan India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.

(xi) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall facilitate the process of submission of request electronically and transmission of registration certificate (defaced or punched) to road transport or regional transport office in getting vehicle deregistered as per provisions of the Act.

(xii) The 'Certificate of Deposit' shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be declared from time to time.

(xiii) The Certificate of Deposit shall be tradeable and once utilised shall be collected by the agency or dealer providing the benefits to the holder of the said certificate.

(xiv) The Certificate of Deposit shall be stamped as "Cancelled" by the agency or dealer and marked as such in the VAHAN database.

(xv) The regional transport office registering the new vehicle purchased against the Certificate of Deposit may verify and authenticate the Certificate of Deposit.

(xvi) The Registered Scrapper shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorised representative for record.

(xvii) The Registered Scrapper shall have the cut piece of the chassis number in safe custody for a period of six months from the date of issue of Certificate of Vehicle Scrapping issued under rule 11.

(xviii) The Registered Scrapper shall maintain a physical copy of all documents for a period of two years and a digital scanned copy of those documents for a period of ten years for record and examination during inspection;

(xix) The Registered Scrapper shall ensure that removal or re-cycling or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per CPCB guidelines for Environmentally Sound Management of End-of-Live Vehicles and AIS-129.

(xx) Vehicles shall not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids etc. are drained and collected in certified standard containers.

(xxi) A digital register of vehicles scrapped shall be maintained in Form-3.

**11. Issuance of Certificate of Vehicle Scrapping.-** (1) The Registered Scrapper, after completing the necessary treatment, shall issue a digital Certificate of Vehicle Scrapping including a digital photograph of the cut out of the chassis, in Form-4 to update the national register, VAHAN Database and inform the competent authority of the State Government or Union territory Government for updating of records.

(2) A separate record of the scrapped vehicles shall be maintained on the VAHAN database by the Central Government.

**12. Installation of CCTV Cameras. -** (1) The Registered Scrapper shall install CCTV cameras at the scrapping yard, in the customer and vehicle reception area and the record of scrapping shall be saved in the Registered Scrapper's IT system for a period of three calendar months.

(2) The access to the CCTV footage installed in the facility may be provided to the authorised agencies as may be required by the State Government or Union territory Government.

**13. Scrapping Yard and Collection Centre.-** (1) The Scrapping Yard shall be set up in an adequate area having space for vehicular movement, storing the vehicles or items received and recyclable material recovered, commensurate to the size and voluminous nature of the scraps to be handled by the facility.

(2) The Scrapping Yard shall be a gated area to handle, depollute and dismantle End-of-Life Vehicles, white goods and other scraps along with facility for measuring radiation as is followed for import of scrap.

(3) Material handling machines shall be utilised to minimise human intervention and create safe work places.

(4) All Scrapping Yards shall engage competent and trained manpower to process the End-of-Life vehicles, goods and other scraps.

(5) The Scrapping Yard shall have dry areas (free from water logging), impermeable surfaces like asphalt or concrete flooring, asphalt or concrete roads, adequate workshop facilities for in-house maintenance, fire protection systems etc. to maintain safe work places and all other required measures for keeping pollution under control.

(6) Scrapping Yard shall be equipped with a depollution system, preferably with zero discharge system and dismantling work shall be done using technology for processing the End-of-Life vehicles, goods and other scraps.

(7) The Scrapping Yard shall comply with relevant health and safety legislation or regulation and environmental norms.

(8) The Scrapping yard shall have,-

(a) Suitable earmarked area for parking of waste vehicles on non-permeable asphalt or concrete or epoxy coated flooring with adequate drainage facility and no waste or potentially waste vehicle shall be parked on roads or public spaces even during processing of applications for deposit and shall be accommodated within the premises of the Registered Vehicle Scrapping Facility only.

(b) Certified de-polluting equipment to ensure zero leakage of pollutants during draining of fuels or fluids or gases and liquids, certified de-risking equipment for safe neutralization or removal of airbags, pre-tensioner etc., appropriate dismantling equipment for the activities defined (such as de-risking, de-polluting, dismantling, shredding, shearing, bailing etc.), designated areas for storing the segregated scrap, adequate space for storage and handling of segregated spares, designated space for temporary storage of automotive hazardous waste such as tyres, batteries, fuel, oils, liquids and gases, suitable safety and occupational health equipment, material handling equipment for the safe transportation of spares, scrap etc.

(c) Appropriate Industrial grade lighting and ventilation systems, conformity to noise pollution norms and appropriate effluent treatment plants or water recycling plants.

(9) Scrapping Yards shall accredit themselves with the latest version of quality standards viz. ISO 9001 (Quality management system), ISO14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Occupational health and safety) within twelve months of commencement of operations.

(10) In case Scrapping Yards do not have adequate capability or provisions for responsible recycling of hazardous waste (like e-waste, lead acid batteries, lithium-ion components, or for recovery of rare earth metals, etc.), or for recycling of scrap material which is outside its scope, then such materials shall be sold to duly authorised recyclers or agencies, who have adequate capability and licence.

(11) Records of the transactions shall be maintained, clearly stating the volumes off-loaded and the name, authorisation number, Permanent Account Number, Goods and Services Tax and other commercial details of the authorized recycler/agency. Such records shall be subjected to periodical audit.

(12) Collection Centre may be established by a Registered Vehicle Scrapping Facility at any other place, other than the Scrapping Yard if collection center undertakes activities such as depollution and dismantling and the requirements applicable for Scrapping Yard shall also be applicable to such Collection Center.

**14. Audits and Certifications.** – (1) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall be audited by the Registration Authority for compliance with these rules;

(2) On behalf of the Registration Authority, any of the agencies specified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or in such list, may undertake,-

(a) regulatory and compliance audit; and

(b) audit of the mass flow statement as maintained in Form-3 by the Registered Vehicle Scrapping Facility.

(3) The audit report shall also grade and evaluate the Registered Vehicle Scrapping Facility in terms of its performance and adherence to occupational health and safety compliances, regulatory, business, environment and labour standards and the respective recycling rates basis, the mass flow information recorded in Form-3 achieved by the Registered Scrapper.

(4) Such audit report shall be uploaded on the portal by the Registered Scrapper annually for a financial year or part thereof and shall be submitted by the 31$^{st}$ May (within two months of completion of financial year) of that financial year.

(5) Observations of non-compliance as reported in the audit report shall be resolved by the Registered Scrapper within two months of issue of the audit report which may be extended by a maximum of one-month by the Registration Authority.

(6) The Registered Scrapper shall ensure that ISO certifications are revalidated at least three months before their expiry.

**15. Appeal.-** (1) Any person aggrieved by an order passed under sub-rule (5) of rule 9, of the Registration Authority may within thirty days of the date of receipt of such order, appeal to the Appellate Authority.

(2) The appeal shall be preferred in a plain application format, setting forth the grounds of objections to the order passed by the Registration Authority and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and fee of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand only).

(3) The Appellate Authority shall dispose the appeal within thirty working days from the date of appeal.

**FORM- 1**

***[Refer rule 6(1)]***

**APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)**

| Application for | Please tick as applicable |
|---|---|
| Registration for a new RVSF | |
| Renewal of Registration for existing RVSF | |
| Modification in existing registration | |

**1. <u>FOR OFFICE USE</u>**

| | |
|---|---|
| APPLICATION NO | |
| APPLICATION DATE | |
| DATE | |
| FEE | |
| SECURITY DEPOSIT | |

**2. <u>GENERAL INFORMATION</u>**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Name | | | | | | | | |
| ii | Address | | | | | | | | |
| iii | Tel | | | | | | | | |
| iv | FAX | | | | | | | | |
| v | Email | | | | | | | | |
| vi | CIN | | | | | | | | |
| vii | PAN | | | | | | | | |
| viii | GST | | | | | | | | |
| ix | Status | Company | Firm | Trust | Society | Proprietor | Govt | JV | PPP |
| x | Attach | MoA | | | | | AoA | | |
| xi | Existing Activities of the Company (National Industrial Classification Code) | | | | | | | | |

**3. <u>PLANT DETAILS</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | Location (Provide Map) | | | |
| b | Area (sq m) | | | |
| c | Possession Details | Owned | Lease/Period | Years |
| d | State | | | |
| e | District | | | |
| f | Category of industrial zone | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. **<u>Proposed Activities of the Company</u>** | L Vehicles | Yes | No | Capacity | | Nos |
| | M Vehicles | Yes | No | Capacity | | Nos |
| | N Vehicles | Yes | No | Capacity | | Nos |
| | Other | Yes | No | Capacity | | Nos |
| 5. **Proposed Capital Structure (INR Lakh)** | Authorised | | | | | |
| | Subscribed | | | | | |
| | Paid-Up | | | | | |
| 6. **<u>Proposed No of Employees</u>** | | | | | | |

**7.<u>Availability of Space</u>**

| | | |
|---|---|---|
| a | Plant Design and Layout, showing following spaces | |

| | | |
|---|---|---|
| | and areas (sqm):- | |
| b | Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm) | |
| c | Designated areas for storing the segregated scrap (sqm) | |
| d | Space for processed scrap and usable parts (sqm) | |
| e | Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm) | |
| f | Provision of space for parking of safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm) | |

**8. <u>Availability of Equipment</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | Certified de-polluting equipment | Yes | No |
| b | Certified de-risking equipment | Yes | No |
| c | Safety and occupational health equipment | Yes | No |
| 10 | Security certifications for the IT Systems for safe access to VAHAN database | Yes | No |

**11. <u>Environmental Clearance</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **a** | Consent to Establish | |
| b | Consent to Operate | |

| | | |
|---|---|---|
| **12.** | **Application No for VAHAN Database** | |

**13.<u>Undertaking</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **The Applicant hereby undertakes to** | | | |
| a | Comply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of scrapped vehicles | | Yes | No |
| b | Obtain the Quality Certifications within 12 Months of Issue of Registration | | | |
| | i | ISO 9001 | Yes | No |
| | ii | ISO 14001 | Yes | No |
| | iii | ISO 45001 | Yes | No |
| c | Comply with the Hazardous Waste Management Rules (2016) | | Yes | No |

**Authorised Signatory**

**Date**

Company Seal

**FORM-1A**

***[Refer rules 6(3) and 7(4)]***

**APPROVAL FOR SETTING UP OF**
**REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)**

The Registration Authority has approved the issue of Registration for setting up of Registered Vehicle Scrapping Facility as per details below:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APPLICANT | | | | | | |
| 2. | LOCATION | | | | | | |
| 3. | APPLICATION NO | | | | | | |
| 4. | APPLICATION DATE | | | | | | |
| 5. | APPROVAL | YES | | NO | | RESUBMIT | |
| 6. | CATEGORY | L Vehicles | Yes | No | Annual Capacity | | Nos |
| | | M Vehicles | Yes | No | Annual Capacity | | Nos |
| | | N Vehicles | Yes | No | Annual Capacity | | Nos |
| | | Others | Yes | No | Annual Capacity | | Nos |
| 7. | REGISTRATION NUMBER | | | | | | |
| 8. | VALIDITY | FROM | | | TO | | |
| 9. | PROCESSING FEE | AMOUNT | | | | | |
| 10. | SECURITY DEPOSIT | AMOUNT | | | | | |
| 11. | BANK GUARANTEE | AMOUNT | | | Date | Validity | |
| 12. | CONDITIONS | | | | | | |
| | a | Registration is Non-Transferable | | | | | |
| | b | Undertaking are to be liquidated by | | | Date | | |
| | c | Submit Compliance Self-Certification by | | | Date | | |
| | d | Facility Inspection Due | | | Date | | |
| | e | First Test Audit Due | | | Date | | |

**Note:** The Registration is Non-Transferable

Registration Authority

Stamp
Date

**FORM – 2**
***[Refer rule 10(1)]***
**COMPOSITE APPLICATION FOR SCRAPPING AND CERTIFICATE OF VEHICLE DEPOSIT**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **OWNER DETAILS** | | | | | |
| | A | NAME | | | | |
| | B | ADDRESS | | | | |
| | C | MOBILE NO | | | | |
| | D | E MAIL | | | | |
| | E | PAN | | | | |
| | F | BANK ACCOUNT | | | | |
| | | i | NAME OF BANK | | | |
| | | ii | BRANCH | | | |
| | | iii | ACCOUNT NUMBER | | | |
| | | iv | IFSC | | | |
| | | v | CANCELLED CHEQUE | | | |
| | | vi | CONSIDERATION RECEIVED (Rs) | | | |
| | | vii | INVOICE NO AND DATE | | | |
| | G | PHOTOGRAPH | | ATTACHED | | |
| | | | | | | |
| **2.** | **VEHICLE DETAILS** | | | | | |
| | REGISTRATION NO | | | | | |
| | MAKE | | | | | |
| | MODEL | | | | | |
| | VEHICLE CATEGORY | | | | | |
| | CHASSIS NO | | | | | |
| | ENGINE NO | | | | | |
| | MONTH/YEAR OF MANUFACTURE | | | | | |
| | | | | | | |
| **3.** | **DOCUMENT** | | | | | |
| | A | Original Certificate of Registration. | | | | |
| | B | Copy of Fitness Certificate following which the vehicle has been declared unfit for use, if applicable. | | | | |
| | C | Authorization from the registered owner | | | | |
| | D | In case of Inheritance, the death certificate of the registered owner accompanied with any proof of succession | | | | |
| | E | Certificate or order confirming the sale of the vehicle in a public auction | | | | |
| | | | | | | |
| **4.** | **CERTIFICATION BY APPLICANT** | | | | | |
| | **I/We ,……………………………………………… Resident of ....................................................... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in this form are true and correct; the subject vehicle is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/WE are fully liable for any false declaration furnished above.**<br>**I/We hereby declare that there are no pending dues on the said vehicle; the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of the said vehicle has been duly discharged and that I/WE shall be fully liable for any such dues and charge pending before this date and I/We fully indemnify the Registered Vehicle Scrapping Facility from all such charges.** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **DATE:** | **SIGNATURE:** |
| **PLACE:** | |

| | |
|---|---|
| **5.** | **CERTIFICATE OF DEPOSIT** |
| | **1. We certify that Vehicle Registration No…....................Make……………Model………………Vehicle** |

| | |
|---|---|
| | **Category………………has been accepted at our Facility vide our Inward No. .................... dated..............for Treatment in accordance with these rules for the Disposal of Vehicles and the agreed consideration of Rs................has been paid to the owner vide our Payment Voucher No...............Dated..................** <br> **2. We further certify, that on completion of Treatment the National Register, VAHAN Database and the competent authority would be intimated for updating of records.** |

| | |
|---|---|
| **DATE:** | **SIGNATURE:** |
| **PLACE:** | **STAMP:** |
| | **RVSF No.** |
| | **VALIDITY** |

**On Company Letter Head**

**RVSF No.** | | **VALIDITY** | |

**FORM-3**

***[Refer rules 10(xxi), 14(2) and 14 (3)]***

**ANNUAL RETURN FOR FINANCIAL YEAR 2021-202_**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **NAME** | | | | |
| | **REGISTRATION NUMBER** | | | | |
| | **VALIDITY** | | | | |
| 2. | **CAPACITY UTILISATION (NOS)** | | | | |
| | **A** | **DEREGISTRATION** | COMPLETED (1) | IN PROCESS (2) | TOTAL (1+2) |
| | i | L VEHS | | | |
| | ii | M VEHS | | | |
| | iii | N VEHS | | | |
| | iv | OTHERS | | | |
| | v | TOTAL(A) | | | |
| | | | | | |
| | **B** | **TREATMENT** | AUTHORISED (1) | UTILISED (2) | % UTILISATION ((1)/(2)*100) |
| | i | L VEHS | | | |
| | ii | M VEHS | | | |
| | iii | N VEHS | | | |
| | iv | OTHERS | | | |
| | v | TOTAL(B) | | | |
| | | | | | |
| **3.** | **MASS FLOW** | | | | KGS |
| | A | INWARDS | | | |
| | i | L VEHS | | | |
| | ii | M VEHS | | | |
| | iii | N VEHS | | | |
| | iv | OTHERS | | | |
| | v | GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv =A) | | | |
| | | | | | |
| | **B** | **OUTWARDS** | | | |
| | i | FERROUS | | | |
| | ii | ALUMINIUM | | | |
| | iii | COPPER | | | |
| | iv | PLASTICS | | | |
| | v | GLASS | | | |
| | vi | TYRES | | | |
| | vii | PRECIOUS METALS (Palladium, Rhodium, Gold, Silver, Platinum, etc.) | | | |
| | viii | OTHERS | | | |
| | ix | SUB-TOTAL (i) | | | |
| | | | | | |
| | **C** | **HAZARDOUS WASTE FOR REPROCESSING** | | | |
| | i | FUEL | | | |
| | ii | OILS | | | |
| | iii | GASES | | | |
| | iv | BATTERIES | | | |
| | v | FLUIDS | | | |
| | vi | SUB-TOTAL (ii) | | | |
| | | | | | |
| | D | HAZARDOUS WASTE TO LANDFILL | | | |
| | i | RESIDUES RETAINED | | | |
| | ii | LANDFILL | | | |
| | iii | SUB-TOTAL (iii) | | | |
| | | | | | |
| | E | GRAND TOTAL (i+ii+iii =B) | | | |
| | F | MASS BALANCE(A-B) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **QUALITY CERTIFICATIONS STATUS** | | | VALIDITY | REMARKS |
| | A | ISO 9001 | | | |
| | B | ISO 14001 | | | |
| | C | ISO 45001 | | | |
| | | | | | |
| **5.** | **AUDIT** | | | | |
| | A | AGENCY | | | |
| | B | DATE | | | |
| | C | RESULT | PASS | FAIL | RESUBMIT |
| | | | | | |
| **6.** | **SAFETY** | | | Nos | REMARKS |
| | A | ACCIDENTS | | | |
| | B | INCIDENTS | | | |
| | | | | | |

7.
I…………………………………………… DESIGNATION……………………………………..
hereby certify that the data submitted above is a true and accurate reflection of the activities of the company for the financial year 2021-202_.

Signature

Place

COMPANY
SEAL
DATE

**FORM– 4**
***[Refer rule 11(1)]***
**CERTIFICATE OF VEHICLE SCRAPPING**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **CERTIFICATE NUMBER**: | | | |
| 2. | **DATE:** | | | |
| | | | | |
| 3. | This is to certify that the Final Disposal of the Vehicle held on Deposit with us vide our Certificate of Deposit No…............................... Dated.......................has undergone Treatment according to the Annexure I of CMVR. | | | |
| | | | | |
| 4. | **VEHICLES DETAILS** | | | |
| | a | Registration Number | | |
| | b | Make | | |
| | c | Model | | |
| | d | Month/Year of Manufacture | MM | YY |
| | e | Chassis Number | Picture of cut out piece showing its number | |
| | f | Engine Number | Picture of Engine showing its number | |
| 5. | **OWNER DETAILS** | | | |
| | a | Name | | |
| | b | ID Proof Details | | |
| | c | Address | | |
| | d | Address Proof Details submitted | | |
| | | | | |
| 6. | **View foregoing it is requested that the records in respect of above-mentioned vehicle may be updated.** | | | |

**Date:** **Authorized Signatory**

Company Seal
Date

[F. No. RT-23013/1/2018-T]

AMIT VARADAN**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.